सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2018-19

वन विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2018-19

वन विभाग, राजस्थान

forest.rajasthan.gov.in

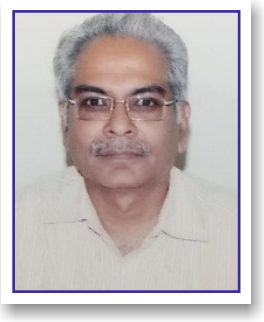

सत्यमेव जयते

सी.एस.रत्नासामी
IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

वन संसाधनों का पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सुरक्षा से प्रदेश और उसके लोगों की बेहतरी का गहरा संबंध है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्परिणामों को कुछ हद तक नियंत्रित करने में वनों की एक विशेष भूमिका है। प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा, राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्रदेश में जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। प्रदेश के वनावरण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी एवं जल संरक्षण के लिए एक नवीन योजना "Project for Development of Water Catchment Through Greening of Rajasthan" राज्य सरकार को अनुमादेन हेतु प्रस्तुत कि गयी है। राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कियान्वयन में विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए किये जा विशेष प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में, रणथम्भौर से 1 बाघ एवं 1 बाघिन का ट्रांसलोकेशन किया गया है। विलुप्तता के कगार पर पहुंचे राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु 12.90 करोड रुपये की ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' योजना प्रारंभ की गई है। सरिस्का टाईगर रिजर्व एवं झालाना के वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ई-सर्विलेंस केन्द्र स्थापित किया गया है।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2018-19 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके हाथ में है, इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है। एतदर्थ वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास हैं कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(सी.एस.रत्नासामी)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	
◆	कार्यकारी सारांश	1
◆	वन विभाग : एक नजर में	6
◆	विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	7
◆	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति	12
◆	वर्ष 2014–15 से 2018–19 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट	13
◆	जन घोषणा पत्र	24

अध्याय

1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	**25**
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	**29**
3.	वन सुरक्षा	**36**
4.	वानिकी विकास	**39**
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	**55**
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	**59**
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	**62**
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	**68**
9.	वन अनुसंधान	**71**
10.	विभागीय कार्य योजना	**76**
11.	तेन्दू पत्ता योजना	**80**
12.	ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस.	**83**
13.	मानव संसाधन विकास	**88**
14.	परिशिष्ठ	**92**

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32830.26 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.59 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.32, 56.29 और 6.39 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2017 के अनुसार राज्य का वनावरण (Forest Cover) 16,572 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण (Tree Cover) 8266 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24838 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.26 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्यजीव प्रबंधन सम्बंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान द्वारा राज्य में वन विकास संबंधित कार्यों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबंध के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकगण के पद सृजित किये गये हैं, जिनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक पदस्थापित है। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते

है। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेमवाचर होता है एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये आवश्यक वायरलैस प्रणाली स्थापित की गई हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है। वन भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित सहायक वन संरक्षकों को भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु राज्य में T.A.D. विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रदेश में माह नवम्बर 2018 तक कुल 76,553 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से 74,724 दावे निर्णित किए जाकर 38,142 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 181 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। 1829 दावे उप खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन हैं।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2014 से उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन वेब पोर्टल **"www.parivesh.nic.in** के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वर्ष दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक 41 प्रस्तावों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिनमे 827.75 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु दी गई है। इसके फलस्वरूप 215.36 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई हैं एवं 372.42 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई है।

वन विकास के लिये राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। 8 वर्षीय राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–II 2011–12 में प्रारंभ की गई थी, जिसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ रूपये है। इस योजना अंतर्गत 2011–12 से दिसम्बर, 2018–19 की अवधि में 83676 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हराभरा बनाये जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिलों में योजना के प्रथम चरण (2012–13 से 2016–17), द्वितीय (2016–17 से 2018–19) एवं तृतीय चरण

(2016–17 से 2020–21) में माह दिसम्बर, 2018 तक 647.93 करोड रूपये की राशि व्यय की जाकर 123400 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील घोषित किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण भी दिनांक 30.09.2018 से अस्तित्व में आ गया है। इस नये प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेन्ट एंव प्लानिंग अथारिटी का स्थान ले लिया है। स्टेट कैम्पा में वर्ष 2015–16 से दिसम्बर, 2018 की अवधि तक रिलीज राशि 53,624 लाख रूपये के विरूद्ध 43,755.32 लाख रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL & DFL), परिभ्रांषित भूमि पर वृक्षारोपण(ANR), वन भूमि के सीमा स्तंभ निर्माण, पक्की दीवार, वन चौकियों के निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

वर्ष 2015–16 से राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान भू–संरक्षण एवं वाटरशेड डवलमेंट विभाग के द्वारा चलाया गया, किन्तु वन विभाग ने इसके कियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के तृतीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 मे 20,832.66 है0 क्षेत्र मे विभागीय स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाकर 58.53 लाख पौधे लगाये गये। जिसमें 2476.50 है0 क्षेत्र मे स्थापित 842 वृक्षकुंज में लगाये 3.04 लाख पौधे एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के अन्तर्गत 601.63 है0 क्षेत्र में विभाग द्वारा करवाये गये 118 कार्यो मे लगाये गये 1.64 लाख पौधे भी सम्मिलित है। राज्य की इस महत्त्वकांक्षी योजना की प्रशंसा विभिन्न स्तर पर की गई है। इसके बारे में यह भी उल्लेखनीय हैं कि यह देश का सबसे बड़ा ''क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन'' अभियान भी है।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी है। राज्य के वन विभाग शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर के नियंत्रण में, प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल (**forest.rajasthan.gov.in**) को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉं, गतिविधियॉं, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह वेबसाईट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platform जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग की आई॰टी॰ शाखा में जी॰आई॰एस॰ कार्यों के अंतर्गत वन सीमाओं के डिजिटाईजेशन के उपरांत इनमें उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु डिजिटल वन सीमाओं में अद्यतन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। जी॰आई॰एस॰ डेटा का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उपयोगी फॉरेस्ट मैप्स, कार्य आयोजना संबंधी मैप्स, मोबाईल में उपयोग हेतु डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा, डिजिटल मैप्स फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये हैं। जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग कर भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के वेब पोर्टल की फायर अलर्ट सुविधा के माध्यम से फॉरेस्ट फायर मैप तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे वनाग्नि प्रबंधन हेतु सहयोग लिया जा सके।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यो की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/विधाओं के उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है।

राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान (310.76 वर्ग किमी), 26 अभयारण्य (9084. 44 वर्ग किमी) एवं 13 कन्जर्वेशन रिजर्व(564.69 वर्ग किमी) स्थित हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा

अनुमोदित "कॉन्सेप्ट प्लान" के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं नाहरगढ जैविक उद्यान विकसित किए हैं।

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में वन्य जीव संरक्षण हेतु 1940.20 लाख का प्रावधान स्वीकृत है। राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में रणथम्भौर से 1 बाघ का ट्रांसलोकेशन अप्रैल, 2018 में हो चुका है तथा 1 बाघिन का ट्रांसलोकेशन दिसम्बर, 2018 में किया गया है। बाघों के उपयुक्त प्राकृतिक आवास हेतु राशि 21.00 करोड की लागत से ग्रासलेण्ड डवलपमेण्ट की एक वृहद योजना को क्रियान्वित है।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2017 में भी राजस्थान राज्य के वनावरण में वर्ष 2015 की तुलना में 466 वर्ग किमी की वृद्धि, विगत वर्षो में विभाग द्वारा किये गये सार्थक प्रयासों की द्योतक है।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,830.26 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.59
प्रदेश का कुल वनावरण	:	16,572 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,266 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	24,838 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्यजीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स)
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	13
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्यजीव मण्डल	:	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	155
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	:	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	741
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	991
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	6,377

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

* प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
* प्रदेश के वन्यजीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
* प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
* मरू प्रसार नियंत्रण
* जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
* वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
* सतत् वन प्रबंधन।
* पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
* मृदा एवं जल संरक्षण।
* वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिये क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं :–

* मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए, स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।

* इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
* वर्तमान व भावी पीढी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
* मरूस्थलीय क्षेत्रों में शैल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरूस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
* वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
* राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'कन्जर्वेशन रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक एवं वन्यजीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
* जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नमभूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्यजीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
* वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
* वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
* उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।

- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ति नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में गहन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तन्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरण स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–

- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जाएगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्यजीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्डस्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमे अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामलाती भूमि जहां वन्यजीवों की सघन उपलब्धता हो को 'कम्यूनिटी रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चारागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।

- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक हैं, किन्तु वन पारिथितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्वपूर्ण हैं की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है, किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरूचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सकें तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किये जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल दिया जाएगा।

रणनीति (Strategy) :

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चारागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20 प्रतिशत तक करना।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरू प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान (in-situ) एवं बाह्य–स्थान (ex-situ) संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।

- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्द्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- "प्रदूषण फैलाने वाला ही उसका मूल्य चुकाए" के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- ओरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2018 की क्रियान्विति की सूचना

घोषणा क्रमांक	विभाग से सम्बन्धित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
33	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत् तृतीय चरण में 4,240 गांवों का चयन कर 09 दिसम्बर, 2017 को 10 मरूस्थलीय जिलों एवं 15 दिसम्बर, 2017 को अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा में कार्यों का शुभारम्भ किया गया। शेष जिलों में 20 जनवरी 2018 से कार्य प्रारम्भ करवाये गये है। प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक व द्वितीय चरण में एक लाख से अधिक निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप भू–जल स्तर में वृद्धि हुई है। अभियान के तहत् प्रथम दो चरणों में 90 लाख से अधिक पौध–रोपण किया गया।	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों का क्रियान्वयन पूर्ण कर लिया गया है।
63	नाबार्ड की आरआईडीएफ–22 योजना के तहत् 525 करोड़ रूपये की लागत के 4,748 किलोमीटर लम्बाई के 1,434 कार्य तथा आरआईडीएफ–23 योजना के तहत् 800 करोड़ रूपये लागत के 1,614 कार्य स्वीकृत किये गये है।	नाबार्ड की आरआईडीएफ–22 योजना के तहत 157.61 करोड रुपये की लागत की 22,700 हैक्टेयर में वृक्षारोपण तथा मृदा एवं भू–सरंक्षण संबंधी गतिविधियों के कार्य विभाग द्वारा करवा लिए गये हैं।
120	राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 38,259 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.45 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका हैं एवं शहरी वनीकरण के अन्तर्गत 1,227 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य कराये गये है।	क्रियान्वयन।
121	बीकानेर जिले में बीछवाल में 36 करोड़ रूपये की लागत से मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। नाहरगढ़ बायोलॅजिकल पार्क के समीप 4 करोड़ रूपये की लागत से 36 हैक्टेयर क्षेत्र में एक लॉयन सफारी का सृजन किया जा रहा है।	बीकानेर जिले के बीछवाल में मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना के क्रम में कार्य 2019–20 तक पूर्ण कराये जाने हैं। आर. एस. आर. डी.सी. को 2017–18 में 2.50 करोड़ की राशि स्थानान्तरित की तथा वर्ष 2018–19 में 6 करोड रू की राशि का आवंटन किया जाकर स्थानान्तरित की कार्यवाही प्रगति पर है। लॉयन सफारी का कार्य पूर्ण। दिनांक 03.10.2018 को उदघाटन उपरांत आमजन हेतु खोला गया।

वर्ष 2014–15 से 2018–19 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

(माह नवम्बर, 2018)

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		बजट घोषणा वर्ष 2014–15			
1.	115.0.0	चूरू जिले में रूपये 1 करोड़ 73 लाख की लागत से नेचर पार्क की स्थापना की मैं घोषणा करती हूं।	चूरू जिले में नेचर पार्क की स्थापना की जा चुकी है।	क्रियान्वित	
2.	120.11.0	धौलपुर में वन विहार को विकसित किया जायेगा। इसके विकास कार्य के लिए 1 करोड रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	1. प्रोसोपिस जूलीफलोरा उन्मूलन तथा ग्रासलेण्ड विकास कार्य प्रगतिरत है। 2. कैम्पा के तहत 20 कि.मी. दीवार निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर कार्यादेश दिनांक 08-08-2018 को जारी कर दिया गया है। कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	मार्च, 2019
		बजट घोषणा वर्ष 2015–16			
1.	55	पर्यटन सीजन में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में निर्धारित Carrying Capacity से कई गुना अधिक पर्यटक रणथम्भौर भ्रमण हेतु आते है। बढते हुए पर्यटक दबाव के दृष्टिगत रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वन खण्ड में एक टाईगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	वर्ष 2017–18 में कैम्पा निधि के तहत आवंटित 22 किमी सुरक्षा दीवार के विरूद्ध आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 4 किमी दीवार पूर्ण हो चुकी है। वर्ष 2018–19 में राज्य मद में लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत राशि 1 करोड का बजट आवंटन प्राप्त है।	प्रगतिरत	मार्च, 2019
2.	56	उदयपुर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क तैयार हो चुका है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक–एक बायोलॉजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में रूपये 25 करोड़ की लागत से बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूं।	वर्ष 2017–18 में राशि रूपये 2.50 करोड आर.एस.आर.डी.सी. को स्थानांतरित की गयी। पार्क की बाउंड्री हेतु चेनलिंक लगाने व ईट चिनाई कार्य के 3500 मीटर के लक्ष्य के विरूद्ध 3000 मीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष प्रगतिरत है। वर्ष 2018–19 में राशि 6 करोड आवंटित की गयी है। उक्त सम्पूर्ण राशि का स्थानांतरण आर. एस.आर.डी.सी. को करने की कार्यवाही प्रगति पर है।	प्रगतिरत	मार्च, 2020
3.	57	गत बजट में चूरू में नेचर पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके लिये रूपये 7 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।	चूरू नेचर पार्क विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं तथा विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके है।	क्रियान्वित	

4.	58	जयपुर–पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन तथा वन खंड नोलक्खा, जिला झालावाड में स्मृति वन विकसित किया जायेगा। इन कार्यों पर रूपये 2 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	हर्बल गार्डन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नोलक्खा स्मृति वन का कार्य पूर्ण हो चुका है।	क्रियान्वित	
5.	59	वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्यजीव तथा वन धन योजना रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर, माउण्ट आबू, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं जवाई Conservation reserve में Pilot basis पर लागू की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2015–16 में रूपये 7 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ 140 ग्रामों का चयन कर लिया गया है तथा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 231.29 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016–17 में माह मार्च, 2017 तक रूपये 106.51 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2017–18 हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का आवंटन वन मण्डलों को कर दिया गया है। वर्ष 2018–19 के लिये राशि 2 करोड का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। चूंकि यह सतत योजना है, अतः इस घोषणा को पूर्ण माना गया है।	क्रियान्वित	
6.	60	रणथम्भौर, सरिस्का टाईगर रिजर्व तथा जवाई Leopard Conservation reserve की पेरीफरी में बसे गांवों में क्रमशः 5 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार Gas connection जारी करने हेतु रूपये 2 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	रणथम्भौर, सरिस्का एवं जवाई कंजर्वेशन रिजर्व में क्रमशः 4834, 5000 तथा 2000 कनेक्शन वितरित किये जा चुके है।	क्रियान्वित	
7.	335	पिछले वर्षों में वन विभाग द्वारा वनों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु वर्क फोर्स की कमी महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए वन विभाग मे वनरक्षक के 500 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।	वनरक्षकों के सृजित 500 पदों पर भर्ती की जा चुकी है।	क्रियान्वित	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
बजट घोषणा वर्ष 2016–17					
1.	62.0.0	शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में 'नगर वन उद्यान योजना' लागू की जाएगी। प्रथम चरण में जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हैक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किये जायेंगे, जिनमे स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जोगिंग ट्रैक एवं साइकिल ट्रैक आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। बजट बहस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जवाब दिनांक 14.03. 2016 में कोटा शहर में चम्बल नदी के किनारे भदाना वन खण्ड की 30 हैक्टेयर भूमि पर एक नगर उद्यान विकसित किया जाएगा। इस उद्यान का विकास वन विभाग तथा UIT Kota के संयुक्त प्रयासों से किया जावेगा। जिस पर रूपये 5 करोड़ का व्यय अनुमानित है।	नगर वन उद्यान योजना अजमेर, जयपुर, कोटा, व उदयपुर में वर्ष 2016–17 में लागू कर दी गयी है। नगर वन उद्यान बनाये जाने हेतु कैम्पा से राशि रू. 202..40 लाख का आवंटन किया जा चुका है तथा 20 % राज्य सरकार के शेयर की राशि रूपये 50. 60 लाख उपलब्ध करायी जा चुकी है। जयपुर में मुहाना, अजमेर में महुवा बीड, कोटा में भदाना तथा उदयपुर में चीरवा घाटा में नगर वन उद्यान बनाने का कार्य प्रगतिरत।	क्रियान्वित	
2.	63.0.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत् वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों तथा गैर–वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में रूपये 157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।	बजट घोषणा अनुसार क्रियान्वित।	क्रियान्वित	
3.	64.0.0	राज्य में वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु वर्ष 2016–17 में अेएरे हपउकि के माध्यम से रूपये 138 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	योजना क्रियान्वित।	क्रियान्वित	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
4.	65.0.0	रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। यह पुनर्वास का पैकेज उन्हीं गांवों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं।	1. राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति (SLMC) की बैठक दिनांक 12.04.2018 को आयोजित की गई, जिसमें पैकेज में संशोधन हेतु ("The right to fair compensation & transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, 2013" act के तहत) एक उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में एक ड्राफट प्रपोजल मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा तैयार कराया गया है, इस पर दिनांक 09-08-2018 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रमुख शासन सचिव, वन से विचार–विमर्श उपरान्त उप समिति के सदस्यों को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है। टिप्पणी /सुझाव प्राप्त होने के पश्चात वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जायेगा।	प्रगतिरत	दिसम्बर, 2018
5.	65.01.0	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु वर्तमान में लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय हैं, जिसे बढाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा। आगामी वर्ष में ऐसे 40 हजार गैस कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित है।	वर्ष 2016–17 में कुल 46312 गैस कनेक्शन (सरिस्का में 18110ए रणथम्भौर में 17868 एवं मुकन्दरा में 10334 गैस कनेक्शन) एवं वर्ष 2017–18 में 44206 गैस कनेक्शन दिये गये हैं।	क्रियान्वित	
6.	66.0.0	रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा हेतु Special Tiger Protection Force (STPF) का गठन किया हुआ है। मैं अब सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर प्रोजेक्ट के लिए भी STPF के गठन की घोषणा। इन 2 नये STPF के लिए पुलिस की जगह Forest guard एवं Forest watcher नियुक्त किये जायेंगे, जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गाँव और उनके buffer क्षेत्र में स्थित गाँवों के युवाओं में से होगी। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।	सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिये राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से एम.ओ.यू. दिनांक 10.01.2018 को हस्ताक्षरित हो चुका है। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF) के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदन उपरांत एन.टी.सी.ए. को भिजवा दिया गया है।	प्रक्रियाधीन	मार्च, 2019

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
7.	341.0.0	टाईगर रिजर्व में वन्य जीवों का संरक्षण तथा इन खेत्रों में पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों के रचनात्मक सहयोग से ही सम्भव है। स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथम्भौर एवं सरिस्का Tiger reserve के 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित होटल, रिसोर्ट आदि पर लोकल कंजर्वेशन फीस लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह फीस टाईगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा वसूल की जाएगी और सम्बन्धित टाईगर रिजर्व से लगते हुए गांवों में ईको–डेवेलोपमेन्ट और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिये उपयोग में ली जायेगी।	इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 31-03-2016 को राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि चूंकि ईको–डवलपमेण्ट चार्ज हाल ही में बढाया गया है, अतः Local cess लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में दिनांक 01-06-2018 को राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है।	क्रियान्वित	
8.	411.0.0	विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से transit pass जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं decentralisation किया जावेगा।	राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ 15(33) फोरेस्ट/98 दिनांक 24.05.2016 से राजस्थान वन उपज (परिवहन) नियम 1957 के नियम 3 के उप नियम (1) के क्लॉज (ii) के प्रावधान अन्तर्गत सरलीकरण के आदेश पारित कर दिये गये हैं तथा राजस्व अधिकारियों को भी चारकोल के परिवहन पारपत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।	क्रियान्वित	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			बजट घोषणा वर्ष 2017–18		
1.	75.0.0	ऐतिहासिक नगर जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आकल wood fossil पार्क है। इस wood fossil पार्क में मौजूद wood fossil को संरक्षित करने, इन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने एवं पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य किया जायेगा। इस परियोजना पर 10 करोड़ 90 लाख रूपये का व्यय होगा। वर्ष 2017–18 में इसके लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	वर्ष 2018–19 में राज्य मद में लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत राशि 3 करोड का आवंटन प्राप्त हो चुका है।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2019
2.	76.0.0	डेजर्ट नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के संरक्षण हेतु स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से Grasslands का विकास किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2017–18 में 10 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।	राजस्थान सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट के बीच त्रिपक्षीय MOU 12-06-2018 को निष्पादित। पर्यावरण मंत्रालय एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 7 से 9 अगस्त, 2018 को की गई फील्ड विजिट के उपरान्त सेटेलाइट सेंटर रामदेवरा (जैसलमेर) एवं हैचरी (सोरसन) के लिए स्थल का चयन किया गया।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2019
3.	77.0.0	प्रदेश में Leopard एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव है। Leopard कई बार वन्य क्षेत्र के समीप के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे मानव–Leopard संघर्ष की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे प्रभावित क्षेत्रों में Leopard के प्रति जन आक्रोश उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरित ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां मानव तथा Leopard शांतिपूर्ण तरीके से co-exist कर रहे है। अतः Leopard के संरक्षण हेतु Project Leopard प्रारम्भ किया जायेगा। वर्ष 2017–18 में इस हेतु 7 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रास्तावित है।	प्रोजेक्ट लैपर्ड का शुभारंभ दिनांक 04.10. 2018 को किया गया है।	क्रियान्वित	

4.	78.0.0	माउंट आबू स्थित Trevor's Tank को Eco-Tourism के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा।	**वर्ष 2018-19 में सहायतार्थ अनुदान में लघु निर्माण कार्य के अन्त र्गत राशि 20 लाख का आवंटन प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगतिरत है।**	प्रगतिरत	31 मार्च, 2019
5.	79.0.0	प्रदेश में Tiger एवं Leopard के संरक्षण तथा वन्य क्षेत्रों में शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु रणथम्भौर, सरिस्का, जवाई तथा मुकन्दरा वन्यजीव अभयारण्यों एवं झालाना आरक्षित वन क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु IT Security System लगाये जाने की घोषणा करती हूँ।	**WS&AP का दिनांक 27.07.2018 को बीकानेर Digifest में inauguration किया जा चुका है।**	क्रियान्वित	
6.	80.0.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करने हेतु करवाये जा रहे वृक्षारोपण के समय बड़े पौधे की कमी महसूस की गई है। द्वितीय चरण में लगभग 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, जो प्रथम चरण की उपलब्धि के दुगुने से भी अधिक है। आगामी वर्ष में 25 लाख बड़े पौधे तैयार करने हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	बजट घोषणा अनुसार क्रियान्वित।	क्रियान्वित	
7.	81.01.0	जयपुर में जेएलएन मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बांसवाड़ा–त्रिपुरा सुन्दरी स्मृति उद्यान–लागत 47 लाख रूपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जायेगा।	बजट घोषणा अनुरूप कार्य पूर्ण।	क्रियान्वित	
8.	81.02.0	जयपुर में जेएलएन मार्ग पर झालाना पर वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बाड़मेर–बाड़मेर हिल्ली स्मृति उद्यान लागत 2 करोड़ 96 लाख रूपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जाएगा।	स्वीकृत डीपीआर अनुसार 2017–18 में 2. 96 करोड की परियोजना में से 119.24 लाख के कार्य पूरे करवाए गए। 2018–19 में शेष कार्य प्रगति पर है।	क्रियान्वित	

9.	81.03.0	जयपुर में जेएलएन मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर जालौर–सुंधा माता स्मृति उद्यान लागत एक करोड़ 81 लाख रूपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी सुरक्षित रखा जाएगा।	बजट घोषणा 2017–18 में जालौर सुंधा माता स्मृति उद्यान–लागत एक करोड़ 81 लाख रुपये विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 84.00 लाख का बजट आवंटित किया गया था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 83.319 लाख व्यय कर कार्य योजना में प्रस्ताावित कार्य सम्पादित करवाये जाकर पूर्ण करवाये गये थे। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राशि रू. 97.00 लाख का बजट कार्य प्रगतिरत है।	क्रियान्वित	
10.	81.04.0	जयपुर में जेएलएन मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बारा–शाहबाद किला स्मृति उद्यान लागत 24 लाख रूपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जायेगा।	स्वीकृत डीपीआर अनुसार आवंटित बजट 24.00 लाख रू. के विरूद्ध 18.50 लाख रू. व्यय कर फव्वारे लगाने के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराये जाने वाले समस्त कार्य पूर्ण	क्रियान्वित	
11.	81.05.0	जयपुर में जेएलएन मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर भीलवाड़ा–भरख माता स्मृति उद्यान–लागत 25 लाख रूपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जाएगा।	स्वीकृत डीपीआर अनुसार आवंटित बजट 25.00 लाख रू. के विरूद्ध 26.25 लाख रू. व्यय कर कार्य पूर्ण	क्रियान्वित	
12.	313.01.0	वन विभाग के ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो अन्य पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में स्टोर मुंशी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी मांग हैं कि उन्हें स्टोरमुंशी के पद पर नियुक्त किया जावे। उनके लिये पृथक् से सेवा नियम बनाये जाकर पात्रता अनुसार स्क्रीनिंग उपरान्त स्टोरमुंशी के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।	वन विभाग में ऐसा कोई कार्य प्रभारित कर्मचारी नहीं हैं जो अन्य पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में स्टोरमुंशी के पद पर कार्य कर रहे है। अतः उक्त घोषणा पर वन विभाग के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	क्रियान्वित	

13.	314.01.0	वन विभाग में कार्यरत ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो कि 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान अथवा ACP (Assured Career Promotion) ले रहे हैं, उनकी लम्बे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग को ध्यान में रखते हुए पृथक् से सेवा नियम बनाए जाकर केवल नये पदनाम दिये जायेंगे।	मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक दिनांक 28-05-18 में दिये गये निर्देश के क्रम में कार्यप्रभारित कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के संबंध में कैबिनेट मीमो एकल पत्रावली पर प्रशासनिक विभाग को क्रमांक 98 दिनांक 08-06-18 से प्रेषित गया है।	प्रक्रियाधीन	
14.	416.0.0	रणथम्भौर के बफर एरिया में स्थित आमली फोरेस्ट ब्लॉक की सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आगामी वर्ष 2017–18 में 18 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।	वर्ष 2017-18 में कैम्पाg से राशि रूपये 18 करोड का बजट आवंटन प्राप्तZ हो चुका है। आर एस आर डी सी द्वारा से 4 कि.मी. दीवार का निर्माण पूर्ण हो चुका है।	क्रियान्वित	
15.	417.0.0	झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में स्थित 7018 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि को बांसियाल–खेतड़ी Conservation Reserve घोषित किया गया है। इस रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर वर्ष 2017–18 में 2 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी।	बजट घोषणा अनुरूप कार्य पूर्ण।	क्रियान्वित	
16.	418.0.0	सरिस्का, मुकन्दरा व झालाना में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये वर्ष 2017–18 में 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जायेगी।	वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार कर कैम्पा मद से सरिस्का हेतु राशि रूपये 5 करोड, मुकन्दरा हेतु राशि रूपये 3 करोड तथा झालाना हेतु राशि रूपये 7 करोड का प्रारम्भिक आवंटन प्राप्त हो चुका है। सरिस्का में राशि 5.00 करोड के विरूद्ध 4.68 करोड का व्यय हो चुका है। झालाना में रूपये 6.89 करोड का व्यय कर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मकुन्दरा में कार्य प्रगतिरत है, जिसमें राशि 300.00 लाख में से 219.21 लाख रूपये का व्यय हो चुका है।	क्रियान्वित	

17.	419.01.0	पिछले बजट भाषण में मैने यह घोषणा की थी कि रणथम्भौर, सरिस्का व मुकन्दरा Tiger Reserve के निकटवर्ती गांवों में 100 प्रतिशत अनुदान पर 40 हजार नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वन विभाग ने इस घोषणा की क्रियान्विति में एक Fuelwood Free Village Scheme लागू कर, चालू वित्तीय वर्ष में 40 हजार से भी अधिक (44000) परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत मैं 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन देने की घोषणा देने की घोषणा करती हूं। इसमें तीनों Tiger Reserve से सम्बंधित अधिकांश ग्रामीण परिवार cover हो जायेंगे और इसका वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर Visible Impact होगा।	कैम्पा मद में गैस कनेक्शन हेतु राशि रूपये 25 करोड का प्रावधान किया गया है। रणथम्भौर में 20000, सरिस्का में 20000 एवं मुकन्दरा में 10000 गैस कनेक्शन वितरित किये जाने के लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं। जिसमे से रणथम्भौर में 22287, सरिस्का में 18892 एवं मुकन्दरा में 3027 गैस कनेक्शन वितरित हो चुके । गैस कनेक्शन वितरण में सरिस्का में 916.32 लाख, रणथम्भौर में 958 लाख एवं मुकन्दरा में 110.74 लाख रूपये का व्यय किया गया है।	क्रियान्वित	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			बजट घोषणा वर्ष 2018–19		
1.	197.0.0	जल सरंक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajsthan की घोषणा। राज्य के 17 जिलों में रूपये 151 करोड की लागत से 22 हजार 700 है0 भूमि में जल सरंक्षण एवं वन विकास कार्य करवाये जायेगें।	जल सरंक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रोजेक्ट नाबार्ड को प्रेषित किया जा चुका है।	प्रगतिरत	
2.	199.0.0	आगामी वर्ष में Forester के 500 एवं Forest Guard के 2 हजार रिक्त पदो के विरूद्व भर्ती किये जाने की घोषणा।	वर्तमान में 1041 वनरक्षक एवं 87 वनपालों के रिक्त पदों के विरूद्ध सीधी भर्ती के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. (1)वन/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर को सीधी भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु अर्थना प्रेषित कर दी गई है। बजट घोषणा की पूर्ण पालना हेतु वन विभाग में वनपाल के 413 व वनरक्षक के 959 नये पद सृजित कराये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में वनपाल के 413 व वनरक्षक के 959 नव पद सृजन किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग के सहमत नहीं होने से बजट घोषणा संख्या 199 की पूर्ण पालना किया जाना संभव नहीं है।	प्रगतिरत	

3.	301.0.0	मांढेरा रूंध, भरतपुर को घास बीड के रूप में रियासत काल में विकसित किया गया था। इसमें कदम्ब के वृक्ष बहुतायात में पाये जाते थे। कालान्तर में बीड में बिलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफलोरा तथा आवारा पशुओं की अधिकता हो गई है। बृज भूमि के इस क्षेत्र को कदम्ब कुंज वन के रूप में विकसित किया जायेगा तथा क्षेत्र में कदम्ब, गूलर, पीपल, बड, जामुन, नीम आदि पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। साथ ही, रोटेशनल ग्रेजिंग हेतु चारागाह विकास तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य इसमें किये जायेगें। इससे स्थानीय आमजन को मवेशियों हेतु निःशुल्क चारा उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही यहॉ विचरण करने वाली गायों को भी चारे व पानी की सुविधा मिल सकेगी। 5 करोड रूपये की लागत से मांढेरा रूंध को कदम्ब कुंज वन के रूप में विकसित करने की घोषणा ।	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशि रू. 20.00 लाख आवंटित कर दिये गये लेकिन न्यायालय द्वारा इस क्रम में पेडों के कटान पर प्रतिबंध के कारण क्रियान्वन संभव नहीं है।	क्रियान्वन संभव नहीं	

जन घोषणा पत्र 2018

1. प्रदेश में वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण हेतु प्रदूषण रहित वातावरण स्थापित करना।
2. पार्कों के संरक्षण और संवर्द्धन (Promotion) की योजना बनाना।
3. प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये सी.एन.जी. वाहनों के उपयोग की नयी नीति बनाना।
4. प्रदेश में प्रदूषण नियन्त्रण, जमीन की उर्वरता तथा वातावरण/पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने के लिये प्लास्टिक/पोलिथीन पर सख्ती से नियन्त्रण करना।
5. प्रदेश में पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिये प्रत्येक इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाये जाएंगे।
6. राज्य के वन एवं वन्यजीवों के उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु राज्य वन एवं वन प्रबन्धन बोर्ड का गठन।

अध्याय–1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23^0 30′ एवं 30^0 11′ उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29′ एवं $78^0$17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। यह भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

पश्चिमी मरूस्थल

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र

पूर्वी मैदानी भाग

दक्षिणी–पूर्वी पठार

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया हैं :–

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

(i) पश्चिमी मरूस्थल

नहरी–सिंचित क्षेत्र

असिंचित क्षेत्र

लूणी बेसिन

(ii) अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र

उत्तरी अरावली प्रदेश

मध्य अरावली प्रदेश

दक्षिणी अरावली प्रदेश

(iii) पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र

बनास बेसिन

माही बेसिन

बाण गंगा बेसिन

साहिबी बेसिन

गम्भीरी बेसिन

वराह/बराह बेसिन

(iii) हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र

चम्बल बेसिन

डांग बेसिन

भू–उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य हैं तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्त्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती हैं, वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में, जहाँ की भूमि कम उपजाऊ हैं, वहां पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है।

वन सम्पदा :

• वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर ''एटलस फॉरेस्ट टाईप्स ऑफ इण्डिया, 2011'' में अग्रानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

5A/C1a Very Dry Teak Forest
5A/C1b Dry Teak Forest
5A/C3 Southern Dry Mixed Deciduous Forest
5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest
5/DS1 Dry Deciduous Scrub
5/DS2 Dry Savannah Forest
5/E1 *Anogeissus pendula* Forest
5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub
5/E2 *Boswellia* Forest
5/E5 *Butea* Forest
5/E6 *Aegle* Forest
5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest
5/1S2 Khair Sissu Forest
6B/C1 desert Thorn Forest
6B/C2 Ravine Thorn Forest
6B/DS1 *Zizyphus* Scrub
6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub
6/E1 *Euphorbia* Scrub
6/E2 *Acacia senegal* Forest
6/E1S1 Desert Dune Scrub
Plantation/Tree Outside Forests (TOF)

• वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र 32830.26 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गिकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12252.28	37.32
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18481.72	56.29
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2096.27	6.39
	योग	**32830.26**	**100**

• प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- **अभिलेखित वन (Recorded Forests) : 32,830.26 वर्ग किमी.**
- **राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.59 प्रतिशत**
- **वन आवरण (Forests Cover) : 16,572 वर्ग किमी.**

अभिलेखित वन के अन्तर्गत वनावरण

अत्यंत सघन वन (छत्र घनत्व 70% से अधिक)	14 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70% तक)	1923 वर्ग कि.मी.
खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40% तक)	6077 वर्ग कि.मी.
योग	**8014 वर्ग कि.मी.**

अभिलेखित वन के बाहर वनावरण

अत्यंत सघन वन	64 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन	2417 वर्ग कि.मी.
खुले वन	6077 वर्ग कि.मी.
योग	**8558 वर्ग कि.मी.**

कुल वनावरण (**Forest Cover**)	**16,572वर्ग कि.मी.**
वृक्षावरण (**Tree Cover**)	**8,266 वर्ग कि.मी.**
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (**Total Forest Cover & Tree Cover**)	**24,838वर्ग कि.मी.**
प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण	**0.04 है.**
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का	**7.26%**
भारत के वन एवं वृक्षावरण का	**3.10%**

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ठ 1 व 5 पर दृष्टव्य है।

(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार)

अध्याय–2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

• उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष है। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी

परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 16.05.2018 एवं 29.05.2018 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को भी विभिन्न वृत क्षेत्रों के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

● मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये है। दिनांक 09.10.2018 से सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलय किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे है। इनके कर्त्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे है। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों के कार्य योजना तैयार की जाती हैं ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे है। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमे से कार्य आयोजना अधिकारी के ये चार पद यथा कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गये है। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा

प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहये है। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहायत हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद सृजित किया गया है।

इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर तथा मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर कार्यरत है।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित है। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये है। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजे है। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किये गये है। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते है। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत है।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती है। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बट में बंटा होता हैं, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ठ योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये है। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार हैं :–

• भारतीय वन सेवा

(Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 155 पद स्वीकृत है। वर्तमान में राज्य में 83 अधिकारी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 09 अधिकारी विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत है। इनके अतिरिक्त 09 अधिकारी राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर, 01 अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा 01 अधिकारी वन्यजीव संस्थान, देहरादून में तथा 12 अधिकारी IGNFA, Dehradun में प्रशिक्षणरत हैं।

(दिनांक 01.01.2019 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	पद नाम	पदस्थापन का विवरण			रिक्त पद
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	5	7	4
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	20	26	6
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	14	35	16
4.	वन संरक्षक	16	7	23	10
5.	उप वन संरक्षक	44	20	64	11
	योग	**89**	**66**	**155**	**47**

○ **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारतीय वन सेवा के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो रहे हैं :**

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री ओ.पी. सिंह	30-04-2018
2.	श्री ए.के.गोयल	31-05-2018
3.	श्री पी.एस.सोमशेखर	30-06-2018
4.	श्री ललित सिंह राणावत	30-06-2018
5.	श्री प्रमोद कुमार मेरकेप	31-07-2018
6.	श्री ए.एस. बरार	31-07-2018
7.	श्री पी.डी.गुप्ता	31.08.2018
8.	श्री आर.के.ग्रोवर	30.09.2018
9.	श्री आर.एस. शेखावत	31-10-2018
10.	श्री आशुसिंह शेखावत	30.11.2018
11.	श्री राजीव कुमार त्यागी	31.12.2018
12.	डॉ. रमेश चन्द्र	31.01.2019
13.	डॉ. सुरेश चन्द्र	28.02.2019

- **राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :**

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल)	05	05
2.	उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल)	26	09
3.	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	52	22
4.	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	78	62
5.	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	268	152
	योग	**429**	**250**

- **अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :**

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	अधिशाषी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	3
	योग	**7**	**4**

- **राजपत्रित संवर्ग के अन्य अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	133	48

- **राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम	258	117	141
2.	जू–अधीक्षक	1	0	1
3.	क्षेत्रीय द्वितीय	451	333	118
4.	जू–सुपरवाइजर	4	1	3
5.	वनपाल	979	784	194
6.	सहायक वनपाल	1498	1071	340
7.	वनरक्षक	4467	3047	1041
	योग	**7658**	**5353**	**1838**

- **लेखा संवर्ग एवं तकनीकी सेवा के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	741	444	297

- **विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाईमाधोपुर	112	109	3

- **मंत्रालयिक सेवा के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	मंत्रालयिक संवर्ग	991	671	320

- **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारीगण	413	382	31

विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धी विवरण :

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दिनांक 01.12.2018 तक विभाग में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से वनपाल के 228 एवं वनरक्षक के 1774 रिक्त पदों पर सीधी द्वारा नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 के दौरान 228 वनपालों एवं 1672 वन रक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 83 वनपालों, 35 पुरूष वनरक्षकों एवं 42 महिला वनरक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण :

01.01.2018 से 31.12.2018 तक सीधी भर्ती के पदों पर निम्नानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी गई हैं :–

क्र.सं.	पद नाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1.	कनिष्ठ लिपिक	13	_
2.	वनपाल	27	_
3.	वनरक्षक	10	–
4.	चालक	1	–
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	3
	योग	**64**	**3**

अध्याय–3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं–

गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत हैं।

वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नार्कों/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 हैं।

वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक वन अपराध अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के वन अपराधों से संबंधित सूचना निम्नानुसार है–

क्र. सं.	वन अपराध की श्रेणी	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई मुआवजा राशि (लाखों में)
1	वन भूमि पर अतिक्रमण	11410	2238	31.68
2	अवैध खनन	2901	842	213.47
3	अवैध कटान	3005	1329	44.42
4	अवैध चराई	2903	2239	24.03
5	वन्य जीव से संबंधित अपराध	1509	47	6.74
6	पेडों की छगाई व शाख तराशी	449	271	4.65
7	सीमा चिन्हों की तोडफोड/परिवर्तन	39	5	0.282
8	अवैध परिवहन	1403	331	150.82
9	अवैध आरा मशीन	1262	116	15.37
10	अन्य वन अपराध	2303	975	61.44

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार पत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वनभूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों को अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा "वन अधिकार समितियां" गठित की गई हैं। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश में दिनांक दिसम्बर 2018 तक कुल 76553 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से कुल 38,323 दावे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किये गये तथा 36,401 दावें स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किये गये। इस प्रकार कुल प्राप्त दावों 76,553 में से 74,724 दावे निर्णित किए जा चुके हैं। इनमें से 38,142 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 181 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। 1829 दावे उप खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन है।

वन भूमि डायवर्जन

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यूजर एजेन्सी (व्यक्ति/संस्था/विभाग) को वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए दिये जाने का प्रावधान है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण अधिनियम) इसके नोडल ऑफिसर है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2014 से उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन वेब पोर्टल "www.parivesh.nic.in" के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वर्ष दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक 41 प्रस्तावों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिनमे 827.7481 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु दी गई है। इसके फलस्वरूप 215.355 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई हैं एवं 372.4174 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण की राशि प्राप्त हुई है। राज्य में वनभूमि के डायवर्जन की स्थिति (31.12.2018) निम्नानुसार हैं :–

Department	Proposal under consideration with										Area Received	
	User Agency	GOI	GOR	PCCF	CCF	DCF	Total no of cases under consideration	No of cases in which in-principle sanction has been issued	No. of Cases in which sanction has been issued 1.1.2018 to 31.12.2018	Forest Area Diverted in Ha.	Non Forest Land in Ha.	Degraded Forest Land in Ha.
IRRIGATION	17	1	0	0	0	2	20	16	3	142.6137	141.713	91
PHED	16	2	0	0	0	0	18	13	4	23.0904	17.67	78.86
NHAI/PWD	16	2	0	0	2	0	20	12	4	20.8945	12.92	14.80
RUIDP	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
RRVPNL	16	4	0	0	2	4	26	13	6	53.266	0	105.7584
PGCIL and Other	6	1	0	0	0	2	9	4	6	36.0451	0	71.469
INDIAN RAILWAY	2	4	1	0	0	0	7	5	1	42.06	42.06	0
PWD/PMGSY	89	4	6	1	8	19	127	67	5	2.69	0	0
OTHERS	29	6	3	1	3	6	48	20	12	507.0884	0.992	10.53
TOTAL	194	24	10	2	15	33	278	151	41	827.7481	215.355	372.4174

अध्याय–4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.84 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सकें।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2017 में भी राजस्थान में 466 वर्ग कि0मी0 वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्शायी गयी है।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो का विस्तृत विवरण अग्रानुसार हैः–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यः–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्वि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाउ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा

उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवद्वि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधें परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

कार्य का विवरण	उपलब्धि			उपलब्धि
	2015–16	2016–17	2017–18	(दिसम्बर, 2018 तक)
बिन्दु सं. 51(ए)पौधारोपण (है0 में)	70893.00	66815	43873	33755
पौधारोपण (लाखों में) 51(ब)	451.142	443.568	300.65	187.941

❖ जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ठ– 8 पर दृष्टव्य है।

वन विकास की योजनाएँ :–

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर,) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

इन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वशद्वि करते हुये आजिविका संवर्द्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं। गांव वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन कर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट,1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रेल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) का गठन किया गया।

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध ईकाईयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध ईकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन ईकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागशति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जिनके द्वारा उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध ईकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध ईकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

यह परियोजना 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत है। इस परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ रूपये है, जिसमें से 884.77 करोड रूपये का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा है।

परियोजना की कुल लागत 1152.53 रूपये करोड़ का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि करोड़ रूपये में)

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore Rs)
1	AFFORESTATION	423.28
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	1.63
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	46.92
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	84.36
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	16.89
6	COMMUNITY MOBILIZATION	65.42
7	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	6.34
8	PROJECT MANAGEMENT	29.82
9	MONITORING & EVALUATION	5.90
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	14.96
	TOTAL	**695.52**
11	PRICE ESCALATION	97.50
12	PHYSICAL CONTINGENCY	79.30
13	CONSULTING SERVICES	12.47
14	ADMINISTRATIVE COST	219.17
15	VAT & IMPORT TAX	14.00
16	INTEREST DURING CONSTRUCTION	27.50
17	COMMITMENT CHARGES	7.07
	TOTAL	457.01
	GRAND TOTAL	**1152.53**

Physical Progress from FY 2011-12 to 2018-19 (Upto Dec. 2018)

Item	Unit	Project Target	Cumulative Achievement	Achievement %
Package - 1 : Afforestation				
Plantation	Ha	83650	83676	100%
Package - 2 : Agro Forestry				
Raising of Seedlings by SHGs	Nos	130	103	79%
Trainings to SHGs	Nos	130	78	60%
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)				
Anicut-I	Nos	600	560	93%
Anicut-II	Nos	400	400	100%
Check Dams	Cumt	200000	200000	100%
Contour Bunding	Rmt	500000	500967	100%
Percolation Tank	Nos	700	700	100%
Renovation/restoration of TWHS	Nos	200	200	100%
Silt Detention structure	Nos	300	300	100%
Gabion Structures	Nos	500	500	100%
Package - 4 : Biodiversity Conservation				
DLT Works	Ha	12000	12000	100%
Development of water points	Nos	100	100	100%
Biodiversity Closures	Ha	5000	5000	100%
Package - 5 : Proverty Alleviation and Income Generation Activities				
No of SHG Formed	Nos	1950	1942	99%
Mobilization of SHG	Nos	1950	1557	80%
Livlihood improvement Activities	Nos	1950	977	50%
Package - 6 : Capacity Building, Training and Research				
VFPMC training by NGO	Nos	1300	1285	99%
NGOs training	Nos	6	7	117%
Forest & Cattle Guards	Nos	54	64	119%
Range Officers/ ACFs	Nos	6	6	100%
DCFs and Equivalent	Nos	2	2	100%
Exposure Visit				
Project Personnel	Nos	6	6	100%
VFPMC Members	Nos	12	12	100%
Overseas Study Tours (I)	Nos	5	0	0%
Overseas Study Tours (II)	Nos	6	0	0%
Overseas Training of Officers	Nos	20	0	0%
Research: Rohida and Khejri	Ha	200	115	58%
Extension camps/Field Visits by DMUs	Nos	1400	1227	88%
Training in GIS*	Persons	200	52/1032	
Package - 7 : Community Mobilisation				
VFPMC/EDC Formation & Strengthening	Nos	650	650	100%
Microplanning	Nos	650	650	100%
Entry Point Activities First Year	Nos	650	623	96%
Second Year	Nos	650	642	99%
Meeting Center for VFPMC	Nos	650	591	91%
CET Activities				
Awareness camp	Nos	650	592	91%
Workshop and Seminars at DMU Level	Nos	135	112	83%

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जन बायोलोजिकल पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकार समिति एवं शासकीय निकाय की दिनांक 01.03.2017 को आयोजित बैठक में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के विकास हेतु परियोजना से बजट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। कोटा परियोजना क्षेत्र में नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव DEA, Ministry of Finance, Govt. of India के पत्र क्रमांक D/O No. 13/2/2011-JAP.II dated 26.04.2018 द्वारा जायका को अनुंशसा हेतु प्रेषित किया गया। जायका ने अपने पत्र क्रमांक JICA (ID) 30-397 dated 17.07.2018 द्वारा अभेडा बायोलॉजिकल पार्क कोटा को परियोजना क्षेत्र में शामिल करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्ताव में रूपये 10 करोड़ का प्रावधान अभेड़ा बायोलॉजिक पार्क कोटा के विकास हेतु रखा गया है।

उद्घाटन तिथि से दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न पार्कों में पहुंचे पर्यटकों एवं उनसे हुई आय का विवरण निम्न है :

क्रम संख्या	पार्क का नाम	उद्घाटन तिथि	पर्यटकों की संख्या	कुल आय (लाख रू. में)
1.	नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर	4 जून, 2016	1196249	640.36
2.	माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर	20 जनवरी, 2016	1089199	331.46
3.	सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर	12 अप्रेल, 2015	1171674	367.80
4.	अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा	कार्य प्रगतिरत		

आजीविका संवंर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अब तक कुल 1942 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवायें जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है। परियोजना के विभिन्न घटकों की वित्तीय प्रगति निम्न है :

(Figs in Rs. Lacs)

Sr. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Achvmt. Upto 2017-18	2018-19 Upto Dec. 18	Grand Total
1	AFFORESTATION	42328	53625.84	1720.32	**55346.16**
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	163	67.24		**67.24**
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	4692	6011.80	150.09	**6161.89**
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	8436	10959.03	48.88	**11007.91**
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	1689	691.41	49.65	**741.06**
6	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	634	263.85		**263.85**
7	COMMUNITY MOBILIZATION	6542	5233.14	18.57	**5251.71**
8	PROJECT MANAGEMENT	2982	2016.00	69.68	**2085.68**
9	MONITORING & EVALUATION	590	176.87	9.51	**186.38**
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	1496	1213.69	164.23	**1377.92**
11	PRICE ESCALATION, PHYSICAL CONTINGENCY AND CONSULTING SERVICES	18926			
	Total (JICA's Loan Amount)	**88477**	80258.87	2230.96	**82489.83**
12	**STATE SHARE** (ADMINISTRATIVE COST,VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION AND COMMITMENT CHARGES)	26776	18182.00	2801.25	**20983.25**
	GRAND TOTAL	**115253**	98440.87	5032.21	**103473.08**

नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-I) under RIDF-XVIII year 2012-13 to 2016-17

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर. आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यो हेतु राशि रू. 336.65 करोड की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन आदि कार्य भी किये जा रहे है। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे है। अब तक परियोजना अन्तर्गत 52750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि रू.7897.67 लाख, वर्ष 2013–14 में राशि रू.13317.08 लाख, वर्ष 2014–15 में राशि रू. 5154.31 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू.1676.72 लाख, 2016–17 मे राशि रू. 915.16 लाख एवं 2017–18 में 391.39 लाख व्यय किए गए है।

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यो के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हो तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सकें।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवशद्वि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईधन व चारे की उपलब्धता को बढाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिर्वतन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्राषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा। जिसके परिणाम स्वरूप जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा।

Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-II) under RIDF-XX year 2014-15 to 2018-19

नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XX Phase-II परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में 43000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण,भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यो हेतु राशि रू. 282.34 करोड की लागत का द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर विकास कार्य प्रगतिरत है।

अब तक परियोजना अन्तर्गत 43000 है0 में वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है, परियोजना में वर्ष 2014–15 मे राशि रू. 7810.20 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 8821.23 लाख 2016–17 मे 4327.13 लाख एवं वर्ष 2017–18 में राशि रू 1470.92 लाख का वृक्षारोपण एवं उत्पादकता संवर्धन कार्य में व्यय किया गया है। वर्तमान में संधारण कार्य करवाए जा रहे हैं।

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21

वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बांरा, कोटा, झालावाड, चितौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, उदयपुर एवं सिरोही में राशि 157 करोड 61 लाख की लागत से विशेष

योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड तृतीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम व द्वितीय के अनुसार ही है।इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी पूर्वानुसार 7 पैकेज में विभक्त किया गया है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को मुख्यतः मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन योजना में चयनित गावों में लिया गया है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी किये जाने है। मृदा एवं जल संरक्षण संरचना एवं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढे एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड परियोजना के तृतीय चरण में 27400 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का लक्ष्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2016–17 में राशि 5306.60 लाख एवं वर्ष 2017–18 में राशि 5874.59 लाख व्यय किये गये है।इस प्रकार नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनान्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में प्रारम्भ से माह दिसम्बर 2018 तक 123400 है0 क्षेत्र मे वृक्षारोपण कराया जा चुका है तथा राशि रू. 647.93 करोड व्यय की गई है।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के एवज में यूजर ऐजेन्सी से सीए. एनपीवी, एपीसीए लागू करने की राशि वसूल करने की शर्त अधिरोपित की जा रही है, वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि के प्रबन्धन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में एडहॉक कैम्पा के गठन के निर्देश दिये गये थे जिसके फलस्वरूप 23.04.2004 को एडहॉक कैम्पा का गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2009 में अधिसूचना क्रमांक 279/12.11.2009 से राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेंट एवं प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु यूजर ऐजेन्सी से एकत्रित सीए व एनपीवी राशि का वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबंधन करना था।

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील घोषित किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण भी दिनांक 30.09.2018 से अस्तित्व में आ गया है। इस नये प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेन्ट एंव प्लानिंग अथारिटी का स्थान ले लिया है। स्टेट कैम्पा में प्राप्त गत तीन वर्षों की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि–लाखों में)

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	ब्याज की राशि	कुल राशि	किया गया व्यय	विशेष विवरण
2015–16	18.02.2016	4800.00	657.99	**5457.99**	9845.49	
2016–17	15.06.2016	8100.00	449.88	**14449.88**	11620.83	
	24.03.2017	5900.00				
2017–18	12.07.2017	9400.00	418.01	**18318.01**	17559.13	
	28.03.2018	8500.00				
2018–19	31.08.2018	16924.00	422.00	**17346.00**	4729.87	31 दिसम्बर, 2018 तक किया गया व्यय
कुल योग		**53624.00**	**1947.88**	**55571.88**	**43755.32**	

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2016–17 तक कुल 1301.97 लाख रूपये एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 तक राशि रू. 1300.50 लाख व्यय किये जा चुके है। उक्त योजनान्तर्गत 2.50 मीटर ऊँची दीवार 6.005 कि.मी. तथा 1.50 मीटर ऊँची दीवार 37.541 कि.मी. तथा 40 है. में वृक्षारोपण कराया गया है।

नगर वन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 तक कुल राशि रू. 202.40 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रू. 198.38 लाख व्यय किये गए तथा वर्ष 2018–19 में उक्त कार्य हेतु राशि रू. 206.42 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2015–16 से 31 दिसम्बर 2018 तक कराये गये प्रमुख कार्य

नाम कार्य	उपलब्धि 2015–16	उपलब्धि 2016–17	उपलब्धि 2017–18	प्रस्तावित कार्य 2018–19
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	1859.91 है.	1518.49 है.	1150.80 है	684.88 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL	3182.03 है.	1547.08 है.	3956.00 है.	1909.25 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर स्टिटोकिग प्रथम वर्ष (पौधारोपण) ANR	3962 है.	6250.00 है.	2350.00 है.	5937.00 है.
पक्की दीवार का निर्माण 4/6 फीट ऊंचाई	140517 Rmt	42069 Rmt	121005.50 Rmt	145000 Rmt
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	4244 No.	2355 No.	1038.00 No.	7500 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	40 No.	21 No.	15 No.	30 No.
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	9 No.	4 No.	3 No.	10 No.
रेक्स्यू सेन्टर निर्माण	2 No.	0 No.	17 No.	10 No.
वन सुरक्षा कार्यो हेतु वाहन (केन्टर/बोलेरो) खरीद	–	5 No.	–	15 No. (बोलेरो)
मोटर साईकिल खरीद	–	30 No.	107 No.	150 No.
पैन्थर कन्जरवेशन रिजर्व	10.00 लाख रू. (पाली)	–	300.00 लाख रू. (झालाना, जयपुर)	447.50 लाख रू. (झालाना, जयपुर)
बांसियाल खेतड़ी, कन्जरवेनश रिजर्व (झुंझुनू)	–	–	228.55 लाख रू.	150.00 लाख रू.
बांसियाल खेतड़ी, बागोर कन्जरवेनश रिजर्व (झुंझुनू)	–	–	–	120.00 लाख रू.
Relocation of Villages in Tiger Reserves (WLS &NP) including completion of relocation work in Mukundara Nation Park	-	331.82 लाख रू.	–	1700.00 लाख रू.
Promotion of Natural regeneration through avoiding deforestation (gas distribution to communities residing by to forest.)	-	1979.42 लाख रू.	1986.05 लाख रू.	1500.00 लाख रू.

पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस योजना के अन्तर्गत सीकर एवं झालावाड में स्मृति वनों का विकास, अजमेर में हर्बल गार्डन का विकास करवाया गया है। इको टास्क फोर्स (ई.टी.एफ.) के माध्यम से वृक्षारोपण एवं गत वर्ष की मुख्यमंत्री बजट घोषणा जालौर मे सुधा माता तथा बाडमेर मे बाडमेर हिल्ली मे स्मृति वनो का विकास भी पूर्ण किया जा रहा है। पर्यावरण वानिकी कार्यो हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रू. 886.25 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2018 तक रू 256.29 लाख व्यय किये जा चुके है। इस राशि का गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2018–19 में आवंटित राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2018 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण	70.00	23.28
2	नेचर पार्क चुरू	347.20	113.07
3	स्मृति वन झालावाड (नौलक्खा)	4.25	1.61
4	अशोक विहार जयपुर का विकास	127.00	11.50
5	हर्बल गार्डन अजमेर	5.00	2.38
6	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00	13.16
7	मंशा माता जयपुर का विकास	30.00	0.00
8	सुंधा स्मृति वन का विकास	97.00	57.36
9	बाडमेर हिल्ली स्मृति वन का विकास	176.00	32.42
10	त्रिपुरा सुन्दरी स्मृति वन का विकास	1.80	0.00
11	गोरधन परिक्रमा वृक्षारोपण	3.00	1.51
	योग	**886.25**	**256.29**

परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहें है। इस वर्ष 4000 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 3050 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 2718.52 लाख व्यय करे जाने का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2018 तक 884.38 लाख रू. व्यय किये जा चुके है।

जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण मे आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे है। वर्ष 2018–19 में 3000 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य तथा 1958 है0 में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 2625.23 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2018 तक 833.00 लाख रू. व्यय किये जा चुके है।

भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने के कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भाखडा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष रू. 613.57 लाख व्यय किए जाकर 1170 रो0 कि.मी. वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2018 तक रू 378.70 लाख व्यय किए जा चुके है।

भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2015–16	159.00	159.00	353.97 आर.के.एम. (118 है0)
2.	2016–17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है0)
3.	2017–18	355.65	320.5	318 आर.के.एम. (106 है0)
4.	2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक)	414.33	266.74	2700 आर.के.एम. (90 है0)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2015–16	314	313.65	630 आर.के.एम. (210 है0)
2.	2016–17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है0)
3.	2017–18	274.50	274.35	237 आर.के.एम. (79 है0)
4.	2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक)	199.24	111.96	900 आर.के.एम. (300 है0)

पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार एवं चौडी पत्ती वाले 2 फीट उंचाई तक के पौधे रू. 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते है। राजकीय विभागों शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बडे पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा एवम् पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर एक रू. प्रति पौधे

की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेगें परन्तु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आंकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान) आर. एफ.बी.पी. फेज–। (रिवोल्विंग फंड) नोन प्लान एवं नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2017–18 में वितरित पौधे वर्ष 2018–19 में दिसम्बर, 2018 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2019–20 में आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जान वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:–

नाम योजना	वर्ष 2017–18 में वितरित पौधे	वर्ष 2018–19 में वितरित पौधे	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तिय
फार्म फोरेस्ट्री	20.67 लाख	24.68 लाख	40 लाख	रू. 336.00 लाख
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	36.71 लाख	26.27 लाख	22 लाख	रू. 180.00 लाख
नाबार्ड परियोजना	24.98 लाख	8.79 लाख	0.00 लाख	रू. 0.00 लाख
योग	82.36 लाख	59.74 लाख	62 लाख	रू. 516.00

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 25 लाख बडे पौधो की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 25 लाख बडे पौधो तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिये पृथक से रू. 186.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे है। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते है। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत है। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

वर्ष 2017–18 मे केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज राशि मार्च माह के अन्त मे प्राप्त होने के कारण पूर्व के वर्षो के वृक्षारोपण के संधारण होने के कारण पूर्व के वर्षो के वृक्षारोपणों के संधारण के अतिरिक्त कोई कार्य नही कराया गया। वर्ष 2017–18 मे प्राप्त राशि से वर्ष 2018–19 मे 6 वन विकास अभिकरणों द्वारा 1400 है0 मे अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किये गये है। वर्ष 2018–19 हेतु रू. 165 लाख का प्रावधान रखा गया है।

साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 6377 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित है जो लगभग

11.76 लाख हैक्टेयर (वन भूमि का 27.2%) से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में रू. 20.00 लाख रू. व्यय का प्रावघान है।

नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाडमेर में है। वर्ष 2017–18 मे वितरिकाओं के किनारे 120 आर.के.एम. अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य एवं पूर्व के वर्षो मे कराये गये वृक्षारोपण का संधारण कार्य करवाया गया। वर्ष 2018–19 मे गत वर्ष के दायित्वों के भुगतान एवं गत वर्षो के वृक्षारोपणों के संधारण कार्य हेतु राशि रू. 278.11 लाख का प्रावघान है। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2018 तक कुल राशि रू. 2513.29 लाख व्यय की गई है।

विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (आयोजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये है। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये है। पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्यो का विवरण वर्षवार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (है0 में)
1	2015–16	562.65
2	2016–17	424.00
3	2017–18	597.80
4	2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक)	1000.00

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष 103.00 लाख व्यय किये जायेगें। जिसमे से रू. 30.00 लाख वन्यजीव एवं वानिकी इन्टर्नस पर राशि रू. 15 लाख काष्ठ आधारित उधोगों की लकडी आवश्यकताओं के अध्ययन हेतु तथा रू. 30 लाख राजभवन की वनस्पति के अध्ययन पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यो पर

दिसम्बर, 2018 तक 51.40 लाख रू. व्यय किये जा चुके है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

वर्ष 2015–16 से राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारंभ की गई है। यह अभियान भू–संरक्षण एवं वाटरशेड डवलमेंट विभाग के द्वारा चलाया गया, किन्तु वन विभाग ने इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2016–17 में अभियान के प्रथम चरण में 3529 ग्रामों में वन विभाग द्वारा रू. 63.24 करोड की लागत के 2674 कार्य करवाये गय उनके समीप 28 लाख पौधे लगाये गये। द्वितीय चरण में 4200 ग्रामों में 15704 कार्य करवाये जाकर 65.00 लाख पौधे लगाये गये। इन कार्यो मे 853 वृक्ष कुंजो की स्थापना भी सम्मिलित है। इस अभियान में 31 जिलों के 56 शहरी क्षैत्र मे 69 कार्यों में 1227 है0 क्षेत्र मे पौधारोपण एवं जल संरक्षण के करवाये गये। तृतीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 मे 20832.66 है0 क्षेत्र मे विभागीय स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाकर 58.53 लाख पौधे लगाये गये। जिसमे 2476.50 है0 क्षेत्र मे स्थापित 842 वृक्षकुंज मे लगाये 3.04 लाख पौधे एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के अन्तर्गत विभाग द्वारा 601.63 है0 क्षेत्र मे करवाये गये 118 कार्यो मे लगाये गये 1.64 लाख पौधे सम्मिलित है।

विकास कार्यो का पांच वर्ष का तुलनात्मक विवरण

आय–व्यय एवं विकास कार्यो का गत पांच वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित सारणियों में है:–

महत्वपूर्ण भौतिक उपलब्धियॉ

*(दिसम्बर, 2018 तक)

योजना	ईकाई	उपलब्धि			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19*
वानिकी					
पौध तैयारी	लाख	36.30	24.25	64.05	–
पर्यावरण वानिकी वृक्षारोपण	है.	150 है0	150	100	150
भाखडा नहर वृक्षारोपण	RKM	353.97	650	318	900
गंगनहर वृक्षारोपण	RKM	630.00	385	237	270
भू–संरक्षण, पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्र वृक्षारोपण	है.	–	132	–	–
आर.एफ.बी.पी. फैज– II	है.	19193	26407	5758	–
तेरहवां वित्त आयोग 1 पक्की दीवार, 2 सीमा स्तम्भ	RKM संख्या	–	–	–	–
परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	है.	4000	7000	2850	3050
जलवायु परिर्वतन वृक्षारोपण	है.	3000	4062	2050	1577
नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	28840	12550	18150	10950
SFDA	है.	800	–	–	1400

आय–व्यय का विवरण

(रू. लाखों में)

वर्ष	कुल राजस्व	व्यय			
		योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	गैर आयोजना	योग
2011–12	7375.95	9839.27	6565.05	36572.11	52976.43
2012–13	9006.25	21020.22	6096.75	40071.00	67187.96
2013–14	7627.12	39986.36	1916.50	42658.88	84561.74
2014–15	5128.44	49248.86	1618.73	35138.04	86005.63
2015–16	13181.15	56338.86	1140.32 *	51342.81	107681.67
2016–17	11100.33	41016.00	1364.04 *	54596.34	96976.38
2017–18	18089.09	30473.59	1430.47 *	85195.15	115668.74
2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक)	10426.65	10269.26	179.36 *	43076.20	53345.46

*(योजना व्यय में साम्मिलित)0

❖ राज्य योजना में वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 (माह दिसम्बर) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति तथा भौतिक प्रगति कमशः संलग्न परिशिष्ठ– 2 एवं 3 पर दृष्टव्य हैं।

अध्याय–5

मृदा एवं जल संरक्षण

नदी–घाटी परियोजनाएं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए के लिए आवश्यक हैं कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनाएं क्रमशः वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाड़ा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है।

परियोजना सम्बन्धित कार्य मुख्य वन संरक्षक (आर.वी.पी.) कोटा के नियंत्रण में करवाए जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय उप वन संरक्षक (परियोजना) बेंगू, उप वन संरक्षक (परियोजना) बांसवाड़ा तथा उप वन संरक्षक (परियोजना) आबूरोड़ कार्यरत है। वर्ष 2017–18 तक कुल 343 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 6.398 लाख हैक्टेयर है। इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्रों में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में भूम की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृत्ति (Water Holding Capacity) को सुधारना आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
3. अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।

4. नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिये मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।

5. जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।

6. भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्य निर्देशिका 2008 अनुसार अति उच्च, उच्च एवं इनके समीपतम (Contiguous) माध्यम, कम व बिल्कुल कम प्राथमिकता के वाटरशेड में स्थित कृषि, बंजर एवं वन भूमि को निम्न उपचार रणनीति के तहत् उपचारित किया जाता हैः–

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई हैं :–

1. मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।

2. पहाड़ों से बहकर आते जलग्रहण के वेग को कम करना।

3. नमी संरक्षण।

4. उबड़–खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।

5. असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।

6. भू–क्षरण की रोकथाम।

7. अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।

8. स्थानीय किसानों भू–संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।

9. स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यों का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र. का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्देश्य है।

बाढ संभावित नदी परियोजनायें

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत आयोजना मद मे बाढ उन्मुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। बाढ उन्मुख नदी परियोजना के अंतर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाडी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रतिशत को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिये मृदा क्षरण (Soil erosion) को रोकना आदि हैं। बाढ उन्मुख नदी परियोजना के अंतर्गत जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत बनास/लूणी नदी क्षेत्र में 12674 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 1730 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि रु. 1839.05 लाख का व्यय किया गया।

नाम योजना	वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17				वर्ष 2017–18			
	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	हेक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	हेक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	हेक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)
एफपीआर बनास व लूणी परियोजना	27	16160	1857	2176.73	31	11468	1181	1592.79	34	12674	1730	1839.05

बनास व लूणी परियोजना में चालू वर्ष के लिये आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत 1098.00 लाख रुपये की कार्य योजना कृषि विभाग को प्रेषित की गई थी,जिसके अंतर्गत 19 उप जलग्रहण क्षेत्रों मे विकास कार्य करवाये जाने है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त प्रावधान से बनास व लूणी परियोजना में कुल 19 उप जलग्रहण क्षेत्रों मे 7747 हेक्टर क्षेत्र में 1098.00 लाख रु. के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे, जिसके विरूद्ध वर्ष 2018–19 में एस.एल.एस.सी. द्वारा आर.के.वी.वाई. अंतर्गत रूपयें 450.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। माह दिसम्बर 2018 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निम्नानुसार विकास कार्य संपादित करवाये गयेः–

नाम योजना	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	दिसम्बर, 2018 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्रो की संख्या		
		हेक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि लाखों में
एफपीआर बनास व लूणी परियोजना	19	2145	171	236.11

अध्याय–6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते हैं। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार /वर्ष वार स्थिति :–

वर्ष 2016–17

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	1	33	34	1	69	0	0	69
2	बीकानेर	1	7	14	5	27	0	0	27
3	भरतपुर	4	12	7	6	29	0	9	38
4	जयपुर	2	3	10	16	31	0	0	31
5	जोधपुर	0	13	19	4	36	0	0	36
6	कोटा	1	27	8	0	36	16	0	52
7	उदयपुर	0	15	5	5	25	0	0	25
	योग राजस्थान	9	110	97	37	253	16	9	278

वर्ष 2017–18

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	अजमेर	0	8	17	0	25	25
2	बीकानेर	1	15	19	6	41	41
3	भरतपुर	3	2	5	0	10	10
4	जयपुर	8	12	13	2	35	35
5	जोधपुर	0	4	25	4	33	33
6	कोटा	1	13	5	0	19	19
7	उदयपुर	23	19	5	0	47	47
	योग राजस्थान	**36**	**73**	**89**	**12**	**210**	**210**

वर्ष 2018–19 के दौरान 01.04.2018 से 31.12.2018 तक मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन कार्यो की संभागवार स्थिति

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	
1	अजमेर	2	16	6	1	25	0	0	25
2	बीकानेर	0	8	4	0	12	0	0	12
3	भरतपुर	0	10	3	0	13	4	0	17
4	जयपुर	6	14	5	6	31	4	4	39
5	जोधपुर	0	1	0	0	1	0	5	5
6	कोटा	0	11	0	0	11	10	13	34
7	उदयपुर	0	4	3	0	7	0	0	7
	योग राजस्थान	**8**	**64**	**21**	**7**	100	**18**	**22**	**140**

स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यो का मूल्यांकन "Third Party Evaluation"

वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से मूल्यांकन करवाया गया है। ''आफरी'' द्वारा मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2012-13 to 2016-17) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज, (C-DECS) जयपुर से करवाया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा अग तक 17 वन मण्डलो का मूल्यांकन कार्य किया जा चुका है।

अध्याय–7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

- जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है।
- दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 13 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 9959.89 वर्ग कि.मी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट–4(अ) पर द्रष्टव्य है।
- वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती है।
- इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

वार्षिक योजनाएं :

(A) टाईगर रिजर्व एवं वन्य जीव अभयारणयों की :–

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए

वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है। रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्वस की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। अभयारण्यों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार के कार्य किये जाते है।

(B). चिडियाघर एवं बायोलोजिकल पार्कः–

राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित "कॉन्सेप्ट प्लान" के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं 3. नाहरगढ जैविक उद्यान विकसित किए हैं। कोटा में अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क व बीकानेर में मरूधरा बायोलोजिकल पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियांः–

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में वन्य जीव संरक्षण हेतु 1940.20 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।

"इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स"

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 28 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 592.30 लाख की स्वीकृति जारी की गई है जिसमें से 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य का हिस्सा परिवर्तित फंडिंग पैटर्न के अनुसार है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे है।

प्रोजेक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राशि 28.27 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

चिड़ियाघर

- माचिया बायोलोजिकल पार्क, जोधपुरः– इस उद्यान को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पर्यटकों के लिए 20.01.2016 में खोल दिया गया है। उद्यान में वर्ष 2017–18 में 3.37 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे 94.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुरः– इस उद्यान को दिनांक 12.04.2015 को लोकार्पण किया जा कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उद्यान में वर्ष 2017–18 में 3.14 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे 102.01 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर – इस उद्यान को दिनांक 04.06.2016 को लोकार्पण किया जा कर पर्यटको के लिए खोल दिया गया हैं। उद्यान में उद्यान में वर्ष 2017–18 में 3.36 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे 192.6 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- इसी प्रकार बीकानेर में मरूधरा बायोलोजिकल पार्क व कोटा में अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है।

- नाहरगढ बायोलोजिकल पार्क क्षेत्र के समीप 36.32 हैक्टेयर में एक लायन सफारी का सश्जन किया गया है। इसे आमजन के लिये 03.10.2018 को खोला गया है।

- विभिन्न स्थलो पर बर्ड फेयर का भी आयोजन किया गया जिससे पक्षियो के संबंध में जागरूकता बढ़ी है।

- सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और ईको–सेन्सिटिव जोन के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये। भारत सरकार द्वारा 19 संरक्षित क्षेत्रों के ड्राफ्ट नोटीफिकेशन प्रसारित किये गये हैं, जिसमें से चार क्षेत्रों के फाईनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट 4(ब) में सलंग्न है।

- जैसलमेर क्षेत्र में आकलवुड फॉसिल पार्क की स्थापना की जा रही है, जहां पर फॉसिल्स के रख–रखाव एवं ईको–टयूरिज्म के लिये योजना स्वीकृत की गई है। इस कार्य के लिये राशि 3. 00 करोड़ रूपये 2018–19 में व्यय की जायेगी।

रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में वन्य जीव संरक्षण हेतु 1347.89 लाख रूपये का प्रावधान स्वीकृत है।

- **स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्सः–**

रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है। इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु कुल 112 पदों की स्वीकृति है। पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल भर्ती कर ली गई है। 83 पुलिस कर्मियों(1 उप अधीक्षक तथा 82 कांस्टेबल) को सुरक्षा कार्यों पर लगा दिया गया है। सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिये भारत सरकार से MoU हस्ताक्षरित करा लिया गया है। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए भी MoU तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया हैं।

बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती भी की जाती है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। रणथम्भौर बाघ परियोजना में वर्तमान में 67 (48 adult +19 cubs) बाघ हैं।

- **बाघों के ट्रांसलोकेशन**

बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से अब तक तीन बाघ एवं पांच बाघिनों को सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया है। बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में ट्रांसलोकेशन के पश्चात दो बाघिनों ने 6 शावकों को जन्म दिया है। वर्तमान में 19 (11 adults + 8 cubs) बाघ है मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में रणथम्भौर से एक बाघ को स्थानान्तरित किया गया है एवं 2 बाघों को शीघ्र ही स्थानान्तरित किया जायेगा।

- **ग्राम विस्थापन की स्थितिः–**
  - सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 29 गांव है। भगानी एवं उमरी गांव को वर्ष 2008–09 में तथा रोटक्याला को वर्ष 2012–13 में कुल 3 गांवों को सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है तथा 6 प्रगतिरत है।
  - रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 65 गांव है। टाईगर रिजर्व से वर्ष 2008–09 में ग्राम इण्डाला, वर्ष 2009–10 में माचनकी, वर्ष 2011–12 में ग्राम पादडा, वर्ष 2012–13 में मोर डूंगरी तथा वर्ष 2014–15 में भिड तथा वर्ष 2015–16 में कठूली ग्राम तथा कुल 6 ग्रामों को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है 8 प्रगतिरत है।
  - मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में कुल 16 ग्राम स्थित है, जिसमें 14 ग्रामों को विस्थापित किया जायेगा। इनमें से 4 ग्राम का विस्थापन प्रगतिरत है।
  - राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति की बैठक दिनांक 12.04.2018 में पैकेज संशोधन हेतु ("The right to fair compensation & transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, 2013" act) के तहत एक उप समिति के

गठन का निर्णय लिया गया तथा इस संबंध में एक ड्रॉफ्ट प्रपोजल मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा तैयार कराया गया है।

- **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन :**
  - राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
  - रणथम्भौर एवं सरिस्का क्षेत्रों में पर्यटको के लिए ऑन लाईन बुकिंग, तत्काल बुकिंग सेवायें, आधा व पूरा दिन भ्रमण हेतु प्रावधान किया गया है। जिससे राजस्व प्राप्तियां गत तीन वर्षो में दुगनी हो गई है।
  - राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में रणथम्भौर से 1 बाघ का ट्रांसलोकेशन अप्रेल, 2018 में हो चुका है तथा 1 बाघिन का ट्रांसलोकेशन 19/12/2018 को किया गया है। बाघों के उपयुक्त प्राकृतिक आवास हेतु राशि 21.00 करोड की लागत से ग्रासलेण्ड डवलपमेण्ट की एक वृहद योजना क्रियान्वित किया गया है।

कन्जर्वेशन रिजर्व :

प्रदेश में 13 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये है, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट संख्या 4(अ) पर दर्ज है। वर्ष 2017 में खेतड़ी–बांसियाल, खेतड़ी बांसयाल बागोर एवं जवाई बाघ कन्जर्वेशन रिजर्व को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। जीर्णमाता, मनसा माता, झालाना, ग्रास फार्म एवं सोरसन क्षेत्रों को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

ईको–ट्यूरिज्म :

प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके समीप विकसित की गई 9 ईको–ट्यूरिज्म साईट्स मेनाल, हमीरगढ, बस्सी, सीतामाता, पंचकुण्ड, सुन्धामाता, गुढा विशनोई, मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, एवं भैंसरोडगढ को आमजन के भ्रमण हेतु खोला गया है। इन साईट्स पर पर्यटकों द्वारा रेस्ट हाऊस एवं टैन्ट्स में रात्रि विश्राम एवं डे–ट्यूरिज्म हेतु प्रवास, शैक्षणिक भ्रमण, एडवेन्चर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018–19 में ईको–ट्यूरिज्म हेतु 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रोजेक्ट लैपर्ड :

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये एक योजना "प्रोजेक्ट लैपर्ड" तैयार कर स्वीकृत की गई है। यह योजना झालाना जयपुर में 04.10.2018 का उद्घघाटन किया गया है झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटको के आवागमन की संख्या काफी मात्रा मे है।

प्रोजेक्ट बस्टर्ड :

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' जिसकी लागत राशि 12.90 करोड़ रुपये है, के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप गोडावण की ब्रीडिंग हुई है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने गोडावण के संरक्षण हेतु एक ''केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में स्थापित किया जायेगा। जैसलमेर क्षेत्र में गोडावण संरक्षण के आश्रय स्थलों के विकास हेतु ग्रासलेण्ड डवलपमेण्ट की एक वृहद योजना की स्वीकृत की गई है। इस हेतु राजस्थान सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंर्स्टिट्यूट के बीच त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. दिनांक 12.06.2018 को हस्ताक्षर हुआ है एवं कार्य प्रगतिरत है।

वन धन योजना :

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2015–16 में रणथम्भौर, कुम्भलगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउण्ट आबू व जवाई बांध संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की वन पर निर्भरता कम करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन धन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2018–19 में इस हेतु 2.00 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। वन धन योजना के तहत 140 गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से वन, कृषि, पशुपालन, डेयरी, लघु उद्योग के सम्बन्ध में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना :

स्थानीय समुदाय की ईंधन के लिये वनों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से रणथम्भौर,सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के आस–पास बने गांवों के परिवारों को कैम्पा योजना के अन्तर्गत आवंटन बजट प्रावधान से 100 प्रतिशत अनुदान गैस कनेक्शन दिये जाकर जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 3 (2) वन/2015 दिनांक 25.10.2016 से जारी की गई है। 100 प्रतिशत अनुदान पर वर्ष 2016–17 में 46312 एवं वर्ष 2017–18 में 44206 गैस कनेक्शन वितरित किये गये है। इस वर्ष 50,000 नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन (20,000 रणथम्भौर, 20,000 सरिस्का एवं 10,000 मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिर्जव में) 100 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अध्याय–8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) वन मण्डलों/जिलों की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एंव समीक्षा ।

(ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण ।

(स) वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान , जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन आते हैं।

कार्य आयोजना :

कालान्तर में प्रत्येक वन मंडल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्ष के लिए कार्य आयोजना तैयार की जाती रही है। वर्तमान मे राजस्थान प्रदेश के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाऐं स्वीकृत हैं।

कार्य योजना तैयारी हेतु वर्तमान में सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती है में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24)वन/2008 जयपुर दिनांक 28.10.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयो में पदस्थापित वन संरक्षक गणों को कार्य आयोजना संरक्षक घोषित किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 2347 दिनांक 20.08.2018 से संभागीय

मुख्य वन संरक्षक गणों को उनके जिलों से संबंधित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया जाकर कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षक गण एवं कार्य आयोजना अधिकारियों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 स्वीकृत किया है जिसके प्रावधानों के अनुसार भविष्य में वन मंडल के स्थान पर जिलेवार कार्य योजना तैयार की जावेगी। चित्तौडगढ, प्रतापगढ एवं बांसवाडा वन मण्डलों की कार्य आयोजना वर्ष 2017–18, वन मंडल उदयपुर की कार्य योजना वर्ष 2018–19 तथा वन मंडल जयपुर की कार्य योजना वर्ष 2019–20 में समाप्त हो रही है जिनकी प्रारम्भिक कार्य आयोजनाएं अनुमोदन कर स्वीकृत की जा चुकी हैं। उक्त पांचों जिलों की कार्ययोजना की तैयारी हेतु कार्य आयोजना अधिकारियों की नियुक्ति की जाकर एफ ई एस के तकनीकी सहयोग एंव संबंधित प्रादेशिक वन मंडलों के फील्ड स्टाफ के सक्रिय सहयोग से कार्य पूर्ण गति से प्रगति पर है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड़ 2014 के प्रावधानों के अनुरूप इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कार्य आयोजना हेतु रिमोट सैंसिग, जी.आई.एस व जी. पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य किया जा रहा है जो पूर्व में कार्य आयोजना तैयारी की प्रक्रिया से पूर्ण रूप से भिन्न है।

वन बन्दोबस्तः–

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशित करवायी जाती है। उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी की जाती है जिसका राजपत्र में प्रकाशन होता है। गत वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क्षेत्रफल है0)

वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना			वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना		
2015–16	2016–2017	2017.–18	2015–16	2016–17	2017–18
554.656	917.2972	2255.25	83.830	1790.419	308.1696

वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक 1280.54 है0 अवर्गीकृत वन भूमि के प्रारम्भिक विज्ञप्ति के तथा 260.62 है0 के अंतिम विज्ञप्ति के प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए गये है।

वन भूमि का विवरण :–

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32830.26 वर्ग किमी. है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किमी. की 9.59 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12252.28 वर्ग किमी. आरक्षित 18481.72 वर्ग किमी. रक्षित तथा 2096.26 वर्ग किमी. अवर्गीकृत है।

वन भूमि का सीमांकन :–

वन भूमि की पहचान व सुरक्षा हेतु वन भूमि का सीमांकन वन सीमा पर वन सीमा स्तम्भ लगा कर किया जाता है। राज्य की वन भूमि की सीमा पर 2,83,943 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने अपेक्षित है जिनमें से वर्ष 2017–18 तक 1,11,242 वन सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं जबकि 1,72,701 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने शेष हैं। उपलब्ध बजट के अनुसार प्रतिवर्ष कुछ वन सीमा स्तम्भ लगाये जाते हैं।

प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्यः–

प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए निम्नानुसार कार्य करवाये गये हैंः–

क्र. स.	सर्वे कार्य का नाम	लक्ष्य / प्राप्ति					
		भौतिक (वर्ग किमी)			वित्तीय(लाखों में)		
		2015–16	2016–17	2017–18	2015–16	2016–17	2017–18
1	प्रारम्भिक सर्वे	71.95	16.50	88.00	3.29	1.06	3.04
2	प्लेन टेबल सर्वे	85.36	86.93	122.41	8.28	8.38	10.74

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद :–

विभाग के नाम दर्ज होना वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल वन भूमि 32830.26 वर्ग किमी. के विरूद्ध 28074.44 वर्ग वर्ग किमी. भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है किन्तु अभी भी 4755.82 वर्ग किमी. वन भूमि विभिन्न कारणों से अलमदरामद से शेष है। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3 / 99 / जयपुर दिनांक 15.09.2016 से किया जाकर समय–समय पर संभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद का सतत प्रयास किया जा रहा है।

अध्याय–9

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत हैं। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एंव जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें भी है।

पौधशालायें

विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। इस कार्यालय के अधीन संचालित पौधशालाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम पौधशाला	योजना	वर्ष 2016–17 में वितरित पौधे (लाखों में)		वर्ष 2017–18 में वितरित पौधे (लाखों में)		वर्ष 2018–19 में वितरित पौधे (लाखों में) Upto 31 Dec. 2018	
			लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण
1.	ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर	RFBP	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.31731
		F&F	0.27428	0.25912	0.01576	0.01576	0.65	0.31996
		CAMPA		–	–	–	1.00	0.19895
2.	फोरेस्ट रिसर्च फार्म गोविन्दपुरा, जयपुर	RFBP	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12807
		CAMPA	–	–	-	–	0.15	0.00156
3.	विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर	RFBP	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
		CAMPA		–	-	–	0.35	0.04753
4	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	RFBP	0.60	0.52077	0.67923	0.66713	0.61216	0.25612
		F&F	1.241	0.86936	0.77164	0.71744	0.40042	0.29375
		CAMPA		–	–	–	2.50	0.04648

अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। विभिन्न वर्षो में शोध परामर्शी समूह (RAG) की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:–

वर्ष	कार्यकारी संस्था	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि (लाखों में)
2016-17	विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर	1.Status Assessment, Vegetative propagation and re-introduction of *Ephedra foliata* (ऊंट फोग).	1.00
		2.TreeTalks: An awareness programme for stakeholders.	1.00
	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	3.Raising of plants of Tectona grandis (Teak) by seed.	0.50
		4.Study of Irrigation economy in certain species by using sub-terrential irrigation method.	0.50
		5.To study the effect of IBA and IAA on vegetative propagation of Gymnema sylvestre (Gurmar).	1.00
	Director AFRI Jodhpur	6 .Study on effect of trees on soil fertility and crop production	4.41
2017-18	आरबोरीकल्चरिष्ट,विश्व वानिकी वृक्ष उधान, जयपुर	1.To disseminate research findings pertaining to dry land afforestation and to identify research gaps	1.00
		2.Establishment of a Forest Food Park, at World Forestry Arboretum, Jaipur:	6.434
		3.Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	4.Raising of plants of *Mallotus philippensis* (Kamla) by seed	0.30
		5.To study the different methods of *Lantana species* Control	0.50
		6.Development of state trees of India plot:	0.50
		7.Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8.Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	प्रभारी अधिकारी, ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर	9.Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
2018-19	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	1. Developing propagation protocol of some useful medicinal plants	0.25
	विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर	2. Organization of Forest Food Festival:	2.00
		3 Establishment of Rashi van	
	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	4. Developing Propagation Technique of Buchanania Lanzan	0.25
		5. Raising of plants of Dalbergia latifolia (Indian Rosewood) by seed	0.25
		6.Developing propagation protocol of some useful medicinal plants	0.25
	ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर	7. Establishment of a herbal Garden at Grass Farm Nursery, Jaipur	4.50
	Director AFRI Jodhpur	8 Study on the effects of tree on soil fertility and crop production in Rajasthan	2.16

बेम्बू सेटमः–

वर्ष 2016–17 में बांस की विभिन्न प्रजातियों के 24 राईजोम वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून से प्राप्त कर वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर एवं विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर में मृत पौधों के स्थान पर रोपित किये गये हैं।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed production Area) :–

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करवाता है। राज्य में कुल 29 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

बीज एकत्रीकरण :–

गत तीन वर्षो में रेन्ज बीज संग्रहण एंव भण्डारण द्वारा विभिन्न बीज उत्पादकता क्षेत्रों से उपलब्ध बजट अनुसार उन्नत किस्म के बीजों का एकत्रीकरण कर विभिन्न बन मण्डलों को उनकी मांग अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। वर्षवार एकत्ररीकरण एवं वितरण का विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः–

वर्ष	एकत्र बीज का विवरण		बीज वितरण का विवरण	
	प्रजाति	मात्रा (कि.ग्रा.)	वन मण्डल का नाम	मात्रा (कि.ग्रा.)
2016–17	***1 .Vachellia senegal***	2250.00	1. उप वन संरक्षक सीकर	1050.00
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	750.00
			3. उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर	500.00
	2.***Vachellia tortilis***	2218.00	1. उप वन संरक्षक सीकर	1000.00
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	718.00
			3. उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर	500.00
2017–18	....	....	.....	.....
2018-19	**1 Acacia nilotica**	1500	उप वन संरक्षक परियोजना टोंक	175.00
			भू संरक्षण अधिकारी बनास सवाई माधोपुर	340.00
			वरिष्ठ योजना अनुसंधान अधिकारी बनास भीलवाडा	400.00
			उप वन संरक्षक झालावाड	200.00

बीज, मृदा व जल की जाँच :– वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालायें न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये

गये नमूनों की निःशुल्क जाँच कर उपर्युक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं में प्राप्त सेंपलों का वर्षवार विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

बीज परीक्षण प्रयोगशालाः–

वर्ष	नमूनो की संख्या	कार्यालयो की संख्या जहॉ से परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त हुए है	प्रजातियों की संख्या
2016–17	227	22	53
2017–18	157	14	57
2018–19	38	12	96

जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाः–

वर्ष	मृदा के नमूनो की संख्या		जल के नमूनो की संख्या	
	नमूनो की संख्या	कार्यालयो/फर्मो की संख्या	नमूनो की संख्या	कार्यालयो/फर्मो की संख्या
2016–17	26	05	05	03
2017–18	19	12	13	12
2018–19	19	4	8	4

वर्धन की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :–

1. विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का संग्रहण उपलब्ध बजट के अनुसार करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
2. बीज प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों का अंकुरण प्रतिशत की जांच की जाती है।
3. जल एवं मृदा प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजनों से प्राप्त जल एवं मृदा की जांच निःशुल्क की जाती है।
4. ग्रास फार्म नर्सरी की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर उनका वितरण करना है।
5. वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा क्लोनल सीड आरचर्ड, सीडलीग सीड आरचर्ड, अन्तर्राष्ट्रीय नीम ट्रायल, लैमन ग्रास ट्रायल, नीम प्रोजेनीट्यल स्थित है जिनका संधारण किया जा रहा है।

6. वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय पौधों का उत्पादन ट्रायल व अनुसंधान से सम्बन्धित है।

7. विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है। उपरोक्त सम्बन्धित गतिविधियों/उद्देश्य के लिये विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त भौतिक वित्तीय लक्ष्यों को आवंटन अनुसार प्राप्त किया जाता है। विभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी व कृषि अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान सम्बन्धित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान–प्रदान करता रहता है।

प्रदेश में विभाग द्वारा जनसहभागिता से वन विकास एवं संरक्षण के लिये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में वन एवं जीवों के संरक्षण के कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार का सश्जन होगा अपितु प्रदेश की जनता की लघु वनोपज की पूर्ति भी हो सकेगी।

अध्याय–10

विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य

- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्वति अपनाना।
- ठेकेदार द्वारा की जाने वाली निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जन जाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।। ,बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर।

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिलें में करवाया जा रहा है। उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ एवं प्रगति :–

(1) लकडी व्यापार योजना :–

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सडकों एवं नहर के किनारों पर खडे वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकडी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में खडे परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्व रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकडी	जलाऊ लकडी		
1	2	3	4	5
2010-11	3.71	2.49	6.20	2258.22
2011-12	1.64	2.86	4.50	2107.47
2012-13	1.60	2.89	4.49	1880.62
2013-14	3.86	4.00	7.86	2484.50
2014-15	4.88	4.42	9.30	2676.14
2015-16	2.57	5.72	8.29	2766.18
2016-17	4.05	3.85	7.90	1963.38
2017-18	3.97	4.72	8.69	2630.38

लकडी व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्व अर्जित राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :– (दि. 31.12.2018 तक)

योजना का नाम	आवंटित राजस्व लक्ष्य (रू.लाखों में)	प्राप्त राजस्व 31.12..2018 तक (रू.लाखों में)
1	2	3
लकडी व्यापार योजना	2805.00	2113.09

(2) बाँस विदोहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये है, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2010–11	12.00	13.04	272.62
2011–12	12.00	14.01	298.24
2012–13	12.00	15.79	357.19
2013–14	12.00	15.55	308.40
2014–15	12.00	13.04	102.09
2015–16	11.00	11.52	517.09
2016–17	13.00	18.05	294.41
2017–18	11.00	11.02	318.22

बांस विदोहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में आवंटित लक्ष्यों के विरूद्व अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति (दि. 31.12.2018 तक) निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	उत्पादन		राजस्व आय (राशि रू. लाखों में)	
	लक्ष्य (लाखों में मानक बांस)	वास्तविक उत्पादन (लाखों में मानक बांस)	मूल लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति 31.12.2018 तक (रू. लाखों में)
बांस योजना	11.58	3.50 लाख	500.00	199.73 लाख

(3) अन्य कार्य :–

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवायें जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते है ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी–पडी लकडी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गो के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढाने हेतु बांस थूरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जाते है।

अध्याय–11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाडा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर 18/– से 20/– रू0 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरंतर वृद्धि के पश्चात वर्ष 2015 के संग्रहण काल हेतु 750/– रू0 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। पिछले वर्ष से माह अक्टूबर दिसम्बर–2015 तक न्यूनतम मजदूरी में बढोतरी होने से वर्ष 2016 के लिए संग्रहण दर 800/–रू. प्रति मानक बोरा तथा पुनः न्यूनतम मजदूरी में 6.35% बढोतरी होने के कारण वर्ष 2017 हेतु रू. 850/– प्रति मानक बोरा निर्धारित

की थी एवं वर्ष 2018 के लिए रू. 900/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की थी। वर्ष 2019 के लिए 950/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क्र.स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई	पडत रही इकाई	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय लाखों में
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2015–16	168	115	53	700.00
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2016–17	167	167	0	2406.00
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2017–18	167	167	0	8282.41

वर्ष 2018–19 के लिए राज्य की कुल 167 इकाइयों का गठन किया गया जिनके बेचान से मार्च 2019 तक लगभग 3349.42 लाख रु. की आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2018 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रू. 900/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। कुल 3.57 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3213.00 लाख रू0 श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां

(लाखों रू0 में)

क्र. स.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां नवम्बर 2018
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	697.63	2204.13	7890.73	3131.32
2.	अन्य विविध आय	6.72	15.26	91.09	13.72
	योग	**704.35**	**2219.39**	**7981.82**	**3145.04**

वर्ष 2019 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहाकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह दिसम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2019 के तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु रूपये 950/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2019 के लिए राज्य में कुल 167 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा उक्त इकाईयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 03.01.2019 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 04.01.2019 को खोली जावेगी।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26(2) व 26(3) की पालना में वर्ष 2011–12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतो को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि 308.72 लाख रूपये (268.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि 830.23 लाख रूपये प्रस्तावित किये गये थें। जिसमें से 295.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके है। तथा रू. 274.98 लाख तेन्दू पत्ता आय से एवं 160.89 लाख रू. बांस की आय से SFC (State Finance commission) पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 838.66 लाख रू. तेन्दू पत्ता से तथा 300.29 लाख रू. बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

अध्याय–12

ई–गर्वनेन्स अनुभाग एवं जी.आई.एस.

ई–गर्वनेन्स अनुभाग

विभागीय वेबसाईट (forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ई–गर्वनेन्स सुविधाओं के अन्तर्गत आती है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल (forest.rajasthan.gov.in) को विकसित कराया गया इस पोर्टल की निम्न विशेषताऐं हैः–

- मुख्य सचिव के निर्देशानुसार नवीनतम तकनीक का उपयोग।
- विभाग के सभी अनुभागों के लिए एकीकृत पोर्टल।
- सभी प्रकार की devices पर उपयोग में सक्षम।

यह वेबसाईट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platform जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है। त्वरित एवं पूर्ण सूचनाऍ उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस वेबसाईट के तीन भाग बनाए गये हैः– 1–**Forest 2- Wildlife 3- RFBP**

विभिन्न अनुभागों को उनके पृष्ठ पर सूचनाऐं अपडेट करने हेतु पासवर्ड देकर सशक्त किया गया है। प्रथम बार इस पोर्टल पर राज्य सेवा के अधिकारियो की सूचनाएं अपडेट करने हेतु उपशासन सचिव (वन) को भी अधिकृत किया गया हैं।

Infrastructure – Development : वर्ष 2018–19 में सभी संम्भागीय, वनमंडल, सहायक वन संरक्षक एवं रेंज कार्यालयों में डेस्कटॉप उपलब्ध करा दिये गये। भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियो एवं राज्य वन सेंवा के उप वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारियो लेपटॉप उपलब्ध करा दिये गये हैं।

ईप्रोक्योरमेन्ट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल : विभाग में ई–प्रोक्यूरमेंट से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाकर कार्यवाही संपन्न कराई जा SPPP

पोर्टल के अतंर्गत आवेदन करने वाले सभी अधिकारियो को सुविधा प्रदान कर दी गई है।

ई–ग्रीनवॉच पोर्टल : भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च–न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपडेटिंग कार्य प्रगतिरत है। संभाग स्तर हेतु प्रशिक्षण द्वारा ई–ग्रीनवॉच एप्लीकेशन में प्रविष्टि के कार्यों में काफी प्रगति हुयी है। इस अनुभाग द्वारा प्रतिमाह कार्यो की प्रगति की मोनीटरिंग की जा रही है।

मोबाइल सी.यू.जी: उपवन संरक्षक स्तर तक के 5545 फील्ड अधिकारियो/कर्मचारियो को BSNL के माध्यम से CUG SIM सुविधा उपलब्ध करायी गयी जिससे सूचनाओ को आदान प्रदान त्वरित एवं सुगम हो गया। इससे वन अपराधो को रोकने में भी सहायता प्राप्त हुयी। इसमें विभाग के उच्चाधिकारियो के निजि मोबाईल को भी निःशुल्क जोडा गया।

Forest Management and Decision Supprt System (FMDSS) :___विभाग द्वारा RISL के माध्यम से Webbased Mangement & Monitoring System लागू करने का निर्णय लिया जिसको FMDSS (Forest Management and Decision Support System) नाम दिया गया। इससे विभाग की विभिन्न गतिविधियो जैसे विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वनअपराध, वित्तीय प्रबन्धन आदि का प्रबन्धन एवं मोनीटंरिग सुचारू रूप से हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सूचनाऐ केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध होगी जिसे इनका अग्रिम विश्लेषण एवं त्वरित निर्णय हो सकेगा। संबंधित अनुभाग को ई–मेल एवं एसएमस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो सकेगी। यह एक एकीकृत सिस्टम है जिससे कार्यो में पारदर्शिता के साथ साथ कार्य क्षमता एवं accountability में वृद्धि होगी।

FMDSS के अंतर्गत नागरिक सेवाऐं भी उपलब्ध करायी गयी है जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं:–

Fixed Land Use:- Mining permission, Sawmill permission, Cable line permission, School permission, Electric line permission, Industry setup, Hospital, Road, Powerplant , Telephone line permission.

Stack holder Service:- Contractor Registration, VFMC Registration, VFMC member Registeration.

Offence Service:- Registration of offence, Apply for compounding, Apply for seizer item.

Misc. Service:- Apply for camp organizing, Apply film shooting permission.

- Online Ticket Booking:- Booking for Ranthambore, Sariska, Ghana & Nahargarh Biological Park have been started Jaipur Zoo, Jhalana Park.

- Production Service:-Online purchase of produce, Apply for auction, Permission of Transit Pass.
- Grievance Service:- Apply Grievance.

यह एप्लीकेशन **Single Sign On (SSO)**सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सभी एप्लीकेशन को इन्टीग्रेट किया जाना प्रस्तावित है जिससे सूचनाओ की दोहरी प्रविष्टि से बचा जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंगः— विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध हैं। अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा सकती हैं विभाग की संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियो से होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ली जा रही हैं । इससे फील्ड से मुख्यालय तक आने एवं जाने में लगने वाले धन एवं समय की बचत हो रही है तथा मुख्यालय सें कार्यो की समीक्षा आसान एवं हो गयी है। इसके द्वारा फील्ड अधिकारियो को प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वीडियो कॉफ्रेसिंग हेतु एक अन्य Soft Solution प्राप्त कर लिया गया है जिससे अधिकारियो से कभी भी वीडियो कॉफ्रेसिंग की जा सकती है। इसके माध्यम से राज विकास की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा रही है।

Online Service for RTI :- FMDSS के अंतर्गत RTI के आवेदन प्रस्तुत करके भी एप्लीकेशन तैयार की जा रही हैं । इसके माध्यम से नागरिक अपने आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन संबंधित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आवेदन ऑन लाइन प्राप्त करना एवं उनका विस्तारण भी इस एप्लीकेशन के माध्यम सें किया जावेगा।

e-Office :- भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए सभी प्रकार के अवकाशो (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशो के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस

मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है। कार्मिक विभाग से इसे जोडने का प्रयास जारी है। कर्मचारियो की वांछित NOC तथा Tour Proposal को ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

नवीन तकनीक का उपयोग करने की निरन्तरता के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यः

1- FMDSS सुविधा का कार्यविस्तार :

A. अमृता देवी पुरस्कार : माननीय वन मंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय अमृता देवी पुरस्कार के आवेदन एवं उसकी सम्पूर्ण विभागीय प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन मोडयूल FMDSS के अंतर्गत लागू किया जा चुका है।

B. ऑनलाइन नर्सरी मोडयूल : राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग में पौधो की उपलब्धता (वितरण एवं विभागीय वृक्षारोपण हेतु) की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से FMDSS के अंतर्गत नर्सरी मोडयूल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सामान्य जन को राज्य की सभी पौधशालाओं में प्रजाति वार पौधे की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। वर्ष 2017–18 में प्रायोगिक तौर पर जयपुर स्थित सचिवालय पौधशाला एवं ग्रास फार्म पौधशाला से पौधे प्राप्त करने हेतु राशि भी ऑनलाइन जमा कराने का कार्य भी किया गया। इसे आगामी वर्ष से राज्य की 34 नर्सरियों में शुरू किया जा रहा है।

C. ऑनलाइन पारपत्र : EoDB के अंतर्गत नागरिकों द्वारा वन उपज के परिवहन हेतु पारपत्र (Transit Pass) प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है।

D. अतिक्रमण मोडयूल : Enchrochment Module माननीय वन मंत्री महोदय के निर्देशानुसार वन क्षेत्रो में अतिक्रमण रोकने हेतु एवं LRA-91 के प्रकरणो के निस्तारण हेतु Online Module विकसित किया गया है।

2. ई–मित्र की सेवाओ का उपयोग :

जयपुर स्थित झालाना पार्क एवं चिडियाघर की स्थानीय टिकिट बुकिंग का कार्य ई–मित्र के माध्यम से किया जा रहा है।

जी.आई.एस. अनुभाग

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग :

विभाग की आई॰टी॰ शाखा में जी॰आई॰एस॰ कार्यों के अंतर्गत वन सीमाओं के डिजिटाईजेशन के उपरांत इनमें उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु डिजिटल वन सीमाओं में अद्यतन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। मरूस्थलीय क्षेत्रों में विशिष्ट कठिनाई होने से इन वन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रयास कर डिजिटाईज किया जा रहा है। साथ ही जी॰आई॰एस॰ डेटा का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के

उपयोगी फॉरेस्ट मैप्स, कार्य आयोजना संबंधी मैप्स, मोबाईल में उपयोग हेतु डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा, डिजिटल मैप्स फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये हैं।

जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग कर भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के वेब पोर्टल की फायर अलर्ट सुविधा के माध्यम से फॉरेस्ट फायर मैप तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे वनाग्नि प्रबंधन हेतु सहयोग लिया जा सके।

समय समय पर फील्ड स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारीगण को भी जी0आई0एस0 एवं जी0पी0एस0 तकनीक के बारे में प्रक्षिशित कर इसके दैनिक फील्ड कार्यों में अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

ई–गर्वनेन्स अनुभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ नवीन गतिविधियॉ

1. राज्य वन सेवा के अधिकारियो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की ऑनलाईन सुविधा प्रारम्भ की गयी।
2. अरण्य भवन के कार्यालयों में File Dak Managamnt System आरम्भ किया गया।
3. प्रत्येक जिलों में एक पौधशाला के स्टॉक की प्रविष्टी ऑनलाइन कराकर नागरिको को पौधो की राशि ऑनलाईन जमा कराने की सुविधा प्रदान की जानी है।
4. वन्यजीव क्षेत्रो के अवशेष रहे स्थानो यथा कुम्भलगढ, बस्सी, जयसमन्द, फुलवारी की नाल आदि में FMDSS के माध्यम से ऑनलाइन एवं काउन्टर बुकिंग आरम्भ की जानी है।
5. Digitization of unsurveyed forest area के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना।
6. फील्ड कार्यालयो को DOIT&C विभाग के आदेश क्रमांक F5(282)/DoIT/Tech/06/2269 jaipur, Dated 18.12.2006 की अनुपालना में Broadband Connectivity उपलब्ध कराने हेतु वन मंडलों को मांग आने पर राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
7. FMDSS के अंतर्गत DOD Module लागू किया जा रहा है जिसमें लगभग कैशलैस ट्राजिंशन होंगी।
8. स्टोर मॉडयूल को WP&FS, NTFP, HoFF एवं CWLW कार्यालयों में क्रमशः लागू किया जा रहा है।
9. सभी R.F.S. के लिए पूर्व में जारी आदेशानुसार PL, Medical surrender Leave Online के आवेदन स्वीकृति को कठोरता से लागू किया गया।
10. Smart Division Project - प्रत्येक वर्ष 4 वन मंडलों को Smart Division घोषित किया।

अध्याय–13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण

वन संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से करने के उद्देश्य से वन एवं वन्य जीव प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों एंव कर्मचारियों को वानिकी एवं वन्यजीव से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जयपुर, अलवर एवं जोधपुर में वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान के अधीन तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2018–19 में 31 दिसम्बर, 2018 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण :–

1. राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवाश्यक संशोधन एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया एवं संस्थान का नाम राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के रुप में बदल दिया गया।

राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों तथा लिपिकीय कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित अनिवार्य तथा मिड कॅरियर प्रशिक्षणों का आयोजन करवाये जाने हेतु प्रयासरत है।

इस वर्ष मध्य दिसम्बर तक निम्नानुसार कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गयाः–

1. **पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमः**–पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के सन्दर्भ में माह मई 2018 में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसमें 37 क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षकों द्वारा भाग लिया गया।
2. **लकडी आधारित उद्योग सम्बन्धित कार्यशालाः**– काष्ट पर आधारित उद्योगो से सम्बन्धित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 68 वन अधिकारी लाभांवित हुये।
3. **बेसिक कंप्यूटर लर्निंग ट्रेनिंग**–कम्प्यूटर सम्बन्धित आधारभूत प्रशिक्षण जिसमें डेटा विश्लेषण, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, ऑनलाइन सर्विस रिकार्ड, एसएसओ लॉगिन, सुगम सम्पर्क पोर्टल, वेतन प्रबंधक एवं टीए बिलों के बारे में 3 दिवसीय तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजिन किया गया। जिनमें कुल 58 मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
4. **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः**–जयपुर, अलवर एवं जोधपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण तकनीकों के बारे में जानकारी दिये जाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 65 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया।
5. **कार्यालय प्रक्रियाः**– कार्यालय प्रक्रिया की जानकारी हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से 35 मंत्रालयिक कर्मचारी लाभान्वित हुए।
6. **सिविल सूट का प्रबोधन (Dealing with Civil Suits):-**वन एवं वन्यजीव संरक्षण से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों को तैयार करना, न्यायालय में प्रस्तुत करना, भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अतिक्रमणों का निस्तारण करने एवं सेवा नियमों एवं अनुशासनामक कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दो दिवसीय दो प्रशिक्षणों का कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें 94 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
7. **दिनांक 24–26 सितम्बर को Ecological Restoration Workshop** का अयोजन कर 26 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक परिर्वधन एवं परिवर्तन हेतु गठित सलाहकार समिति की प्रथम बैठक के निर्णयानुसार इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 26 उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।
8. **वन्यजीव प्रबन्धन हेतु आधारभू पाठ्यक्रम पर कार्यशाला (Foundation Course in Wildlife Management Workshop):-** राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक परिर्वधन एवं परिवर्तन हेतु गठित सलाहकार कमेटी के निर्णयानुसार इस कर्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 35 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

9. **राजस्थान में तेंदुआ परियोजना (Leopard Project in Rajasthan):-** राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक परिर्वधन एवं परिवर्तन हेतु गठित सलाहकार कमेटी के निर्णयानुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बघेरों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उन क्षेंत्रों में कार्यरत मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षकों हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया गया। कार्यशाला में तेंदुआ संरक्षण, तेंदुआ मानव संघर्ष और सर्वोत्तम प्रबंधन तरीकों के बारे में गहन विचार विमर्श एवं व्यवहारिक ज्ञान हेतु झालाना तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र का निरक्षण किया गया। इस कार्यशाला में 26 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

10. **रेस्क्यू एवं पुनर्वास (Rescue & Rehabiliation):-** रेस्क्यू एवं पुनर्वास विषय पर स्वयं सेवी संस्थाओं एवं विभाग के वनपाल व वनरक्षकों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 101 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

11. **भोगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System):-** कार्य आयोजना के निर्माण एवं वन सीमा की सुरक्षा एवं मार्किंग करने जैसे विषय पर लगभग 182 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

12. **पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमः**—पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कुल 539 छात्र—छात्राओं को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में युवा पीढ़ी के योगदान के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया।

13. **वृक्षारोपण एवं नर्सरी तकनीक (Tree Planting & Nursery Techniques):-**वृक्षारोपण एवं नर्सरी तकनीक विषय पर महाविद्यालयों के 150 छात्र – छात्राओं को जानकारी दी गयी एवं प्रशिक्षित किया गया।

उपरोक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त विश्व पर्यावरण दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन),अलवर –

इस वन प्रशिक्षण संस्थान में सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये 03 माह के आधारभूत प्रशिक्षण तथा वनपालो कें 06 माह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किये जा रहे हैं। अब तक वनपाल के 60 प्रशिक्षण सत्र तथा वनरक्षक के 115 प्रशिक्षण सत्र सम्पन्न हो चुके है।

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में इस वित्तिय 2018—19 में निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये :—

- सीधी भर्ती के वन रक्षकों के लिये 3 माह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो सत्रों में कुल 89 पुरूष वनरक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- दिनांक 10.12.2018 से सीधी भर्ती के 24 महिला वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसका समापन दिनांक 09–03–2019 को होगा।

3. मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर

मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर द्वारा सर्वेयर/अमीन/ड्राफ्ट्समेन का पांच दिवसीय पुनःश्चर्या आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 16.07.2018 से 20.07.2018 तक आयोजित किया गया जिसमे विभिन्न वन मण्डलों से 21 प्रशिक्षणार्थियों ने एवं दिनांक 6.08.2018 से 10.08.2018 विभिन्न वन मण्डलों से 50 प्रशिक्षणार्थियों ने कुल 71 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

वनपाल नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण :–

वनपाल नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 04.09.2018 से 02.03.2019 प्रगतिरत है एवं प्रशिक्षण सत्र में 83 पुरूष एवं 3 महिला कुल 86 प्रशिक्षुओं ने अपनी उपस्थिति दी एवं प्रशिक्षण प्रगतिरत है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान एवं अतिथि व्याख्याताओ द्वारा सैद्वान्तिक प्रशिक्षण के साथ ही प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं प्रशिक्षुओ को बतौर प्रायोगिक प्रशिक्षण में स्थानीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाकर शुष्क वन अनुसंधान आफरी ,भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग , काजरी , रिमोट सेंसिग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर ले जाकर वन खण्डों के नक्शों का डिजिटाईजेशन करवाने की जानकारी एवं वन्य जीवों के सम्बन्ध में माचिया बाईलोजिकल पार्क व औषधीय वनस्पति की जानकारी मण्डोर उद्यान, डॉ0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय करवड़ जोधपुर आदि में ले जाकर प्रायोगिक एवं सैद्वान्तिक प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है एवं प्रशिक्षुओं का अनुमोदित राजस्थान शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 04.01.2019 से 26.01.2019 तक प्रस्तावित है।

परिशिष्ठ– 1

राजस्थान राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण (क्षेत्रफल वर्गकिलोमीटर में) 31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार

क्र.स.	जिले का नाम	आरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि
1	अजमेर	194.99	421.69	1.89	618.57
2	भीलवाडा	438.40	289.62	67.48	795.50
3	नागौर	0.80	206.28	35.32	242.40
4	टोंक	101.42	233.17	2.35	336.94
5	बीकानेर	0.00	755.26	495.41	1250.67
6	चुरू	7.20	48.58	17.96	73.73
7	श्रीगगानंगर	0.00	238.42	395.02	633.44
8	हनुमानगढ	0.00	113.37	126.09	239.46
9	भरतपुर	28.73	393.25	12.97	434.94
10	धोलपुर	7.92	597.73	44.03	649.68
11	करौली	62.99	1693.13	53.93	1810.05
12	सवाईमाधोपुर	834.83	118.16	22.01	975.00
13	जयपुर	678.38	263.17	4.94	946.49
14	झुन्झूनू	6.02	399.33	0.00	405.36
15	सीकर	9.92	622.40	9.22	641.54
16	अलवर	1010.78	640.33	133.55	1784.66
17	दौसा	134.87	149.26	0.36	284.49
18	जोधपुर	4.68	183.78	55.66	244.12
19	बाडमेर	20.30	568.81	36.76	625.87
20	जैसलमेर	0.00	238.36	343.23	581.59
21	जालौर	126.13	299.97	83.89	509.99
22	पाली	816.56	144.82	2.21	963.58
23	सिरोही	614.04	984.72	42.53	1641.30
24	कोटा	879.50	436.16	19.81	1335.47
25	बांरा	0.00	2233.03	15.82	2248.84
26	बून्दी	867.76	680.85	19.25	1567.86
27	झालावाड	314.72	946.60	25.39	1286.72
28	उदयपुर	2449.60	1440.28	12.61	3902.49
29	बांसवाडा	0.00	1006.33	0.66	1007.00
30	चित्तौडगढ	1200.15	571.20	0.75	1772.10
31	डूंगरपुर	257.08	426.43	9.75	693.27
32	प्रतापगढ	907.12	1018.02	0.62	1925.75
33	राजसंमद	277.41	119.20	4.78	401.39
	कुल योंग	**12252.28**	**18481.72**	**2096.27**	**32830.26**

(परिशिष्ठ–2)

राज्य योजना में वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 (माह दिसम्बर) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

(रू. लाखों में)

क.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17					वर्ष 2017–18					वर्ष 2018–19			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2018 तक)	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	72.45	16.00		13.58		50.00	28.19		21.73		55.13		6.47	
2	परिग्राषित वनों का पुनरारोपण	2891.31	2891.81		2752.56		2334.90	2506.94		2367.53		2718.52		884.38	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन	415.21	343.62		328.20		356.82	256.82		234.44		422.57		230.29	
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	400.00	306.43	229.75	281.50	168.00	400.00	175.00	105.00	174.96	104.98	440.00	264.00	0.00	0.00
5	कृषि वानिकी	224.71	237.18		208.46		536.00	544.53		468.32		909.15		224.03	
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	2005.05	1884.45	340.16	955.38	180.10	1400.13	1951.75	414.59	575.91	316.83	1974.05	424.42	234.77	147.20
7	बाघ परियोजना सरिस्का	1526.66	964.12	469.68	811.70	419.48	906.01	742.61	305.51	575.75	267.17	780.11	325.05	0.00	0.00
8	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	1138.79	860.07	312.39	814.53	293.07	945.03	1163.56	480.51	919.34	397.44	1179.03	540.01	133.26	10.00
9	गोरधन ड्रेन	150.01	130.01		117.95		150.01	110.01		94.09		110.01		68.08	
10	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	300.00	264.50	139.80	295.61	159.55	344.50	116.45	43.17	112.83	42.13	130.00	54.00	28.32	4.80
11	चिडियाघरों का सुधार	105.03	113.03	0.02	112.99		130.03	150.03	0.01	150.01		150.02	0.01	54.88	0.00
12	संचार एवं भवन	393.00	200.00		196.88		343.00	343.00		302.09		367.00		47.59	
13	सांभर नम भूमि परियोजना	20.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00		0.02	0.01	0.00	0.00
14	भाखडा नहर वृक्षारोपण	360.76	168.48		167.95		355.65	325.55		320.50		414.33		266.74	
15	गंगनहर वृक्षारोपण	315.89	228.72		228.71		274.50	274.50		274.35		199.24		111.96	
16	कैम्पा कोष	50.00	990.00		819.18		11.26	169.97		153.79		20.00		18.72	
17	पर्यावरण वानिकी	447.62	448.83		695.69		800.61	971.62		951.14		886.75		256.29	
18	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	20000.00	18000.00		18000.00		9800.00	9900.00		9923.68		6000.00		4500.00	
19	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्यजीव)	0.02	0.02		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
20	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	100.00	50.00		49.70		75.00	100.00		82.69		200.00		11.53	
21	घना पक्षी विहार का विकास	115.00	81.67	22.00	81.67	22.00	100.10	124.98	44.93	116.38	38.68	136.30	49.80	37.19	17.35
22	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	85.00	50.00		42.41		85.00	80.00		72.66		103.00		51.40	

23	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	30.00	20.00		15.13		20.00	20.00		16.70		20.00		3.91	
24	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	4355.13	12231.60		10559.02		4773.05	8660.52		7735.91		5250.36		1829.84	
25	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	2759.10	2759.10		2619.73		2634.61	2669.36		2517.85		2625.33		833.00	
26	जैविक उद्यान कायलाना	0.00	0.00		0.00		0.00	0.03		0.00		0.00		0.00	
27	पक्षी राहत केन्द्र	171.03	193.12		189.24		197.44	185.44		156.29		5.02		1.68	
28	राज्य वन विकास अभिकरण	150.00	78.44	78.44	0.00	0.00	105.00	233.18	139.91	233.18	139.91	165.00	99.00	0.00	0.00
29	अवैध खनन की रोकथाम	228.00	228.00		227.94		228.00	228.00		222.68		228.00		11.33	
30	जैविक उद्यान, बीकानेर	300.00	50.03		0.00		100.03	350.03		350.00		600.03		0.00	
31	वन घन योजना	500.00	124.50		106.51		100.00	100.00		77.35		200.00		16.10	
32	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	410.00	272.49	132.05	249.55	120.94	370.00	296.37	155.36	221.71	123.23	407.02	222.21	0.00	0.00
33	टाईगर सफारी आमली	300.01	50.01		50.00		100.01	100.01		99.99		100.01		0.00	
34	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	27.20	27.20		24.24		0.01	0.01		0.00		0.01		0.00	
35	कैम्पा वृक्षारोपण	9500.00	14817.63		11615.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
36	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन	2000.00	448.40		448.40		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
37	राजस्थान वन क्षेत्र संरक्षण समिति	555.00	9.40		9.40		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
38	आकल वुड फोसिल पार्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	20.00		0.13		300.00		0.00	
39	प्रोजेक्ट लेपर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	700.00		699.99		500.00		272.03	
40	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00		199.64		200.00		108.55	
41	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	50.62		49.98		50.62		26.94	
42	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00	24.00	0.00	0.00
43	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02	0.02				0.02	0.02				0.02	0.01	0.00	
	योग	**52402.00**	**59538.90**	**1724.30**	**53088.81**	**1363.14**	**29436.74**	**33849.12**	**1689.00**	**30473.59**	**1430.37**	**27886.65**	**2002.52**	**10269.26**	**179.36**

वार्षिक योजना की महत्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र. सं.	योजना/मद	ईकाई	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2018 तक)
A	वानिकी					
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	24.25	64.05	65	0
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	150	100	150	150
iii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	रो.कि.मी.	1035	555	160	391.11
iv	परिभ्राषिंत वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	7000	2850	3050	3050
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	4062	2050	1958	1577.17
B	नाबार्ड					
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	12550	18150	10950	10950
C	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना					
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –।। वृक्षारोपण	है.	26407	5758	0	0
D	भू–संरक्षण (वृक्षारोपण)	है.	132	0	0	0
E	SFDA	है.		7457	9200	8531
F	कैम्पा (IEBR)	है.	9315.57	0	0	0

LIST OF PROTECTED AREAS IN THE RAJASTHAN STATE

S.no	Protected Area Name	District	Area(Km)	Notification no. and date
A	**National Park**			
1	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	282.03	F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980
2	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73	F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981
3	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh		F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012 . Total area 199.55 sqkm comprises part of Darrah, Jawaharsagar and NCS wls.
	Total Area of NP (282.03+ 28.73+ 199.55= 510.31 sqkm)		**310.76**	
B	**Wildlife sanctuaries**			
1	Sariska Sanctuary	Alwar	492.29	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
1(A)	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01	P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012
2	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	239.76	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
3	Jawahar Sagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	220.09	F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975
4	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
5	Pulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41	F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983
6	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19	F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987
7	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94	F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979
8	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	326.10	P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008
9	Talchappar Sanctaury	Churu	7.19	F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962
10	National Chambal Gariyal Sanctuary	Kota, Bundi, Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur	280.00	F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979
11	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.40	F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980
12	Jamwagarh Sanctuary	Jaipur	300.00	F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982
13	Desert National Park	Jaisalmer, Barmer	3162.00	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
14	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	307.00	F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982
15	Keladevi Sanctuary	Karoli, Sawai Madhopur	676.82	F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983
16	Shergarh Sanctuary	Baran	81.67	F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983

17	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	475.24	F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983
18	Kumbhalgarh Santuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.53	F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971
19	Sawaiman singh Sanctuary	Sawai Madhopur	113.07	F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984
20	Sawai Madhopur Sanctuary	Sawai Madhopur	131.30	F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955
21	Besrodgarh Santuary	Chittorgarh	201.40	F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983
22	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.69	F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988
23	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
24	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.40	F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955
25	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76	F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955
26	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	199.24	F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985
		TOTAL	**9084.44**	
C	**Conservation Reserves**			
1	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31	P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008
2	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.4662	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
3	Sundhamata Conservation Reserve	Jalor, Sirohi	117.4892	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
4	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.3137	P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011
5	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Junjhunu	131	P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012
6	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58	P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012
7	Beed Jhunjunu Conservation Reserve	Junjhunu	10.4748	P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012
8	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.7286	P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012
9	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72	F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012
10	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79	F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013
11	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.18	F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017
12	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66	F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018
13	Jawai Bandh Leapord Conservation Reserve II	Pali	61.98	F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018
	TOTAL		**564.69**	
GRAND TOTAL			**9959.89**	

S.NO	Status of declaration of ESZ (20.12.2018)				
	Submitted to Govt. of india (19)			Submitted to GOR(2)	Pending with CWLW (2)
	Final notification issued by GOI (4)	Draft notification issued by GOI (2)	Pending for draft notification (13)		
1	Todgarh Raoli	Bandh Baretha	Sariska Tiger Reserve,	Phulwari Ki Nal (5486 dt 10.9.18)	DNP
2	Van Vihar	Shergarh	Mt. Abu,	Bassi (5550 dt 5.10.2018)	Khumbalgarh
3	Sajjangarh		Nahargarh		
4	Sitamata		Jamwaramgarh		
5			MHTR		
6			Bhaindrogarh		
7			Jaisamand		
8			Keoladeo NP		
9			Ramsagar		
10			Talchappar		
11			Kesarbagh		
12			Ramgarh Vishdhari		
13			Ranthambhore tiger reserve **alongwith Keladevi WLS (2)**		

TOTAL PROPOSALS TO BE SUBMITTED	SUBMITTED TO GOI (19)			PENDING WITH GOR (2)	PENDING WITH CWLW (2)	REMARKS
	Finally notified	Draft notification issued	Pending for draft notification			
23	**4**	**2**	**13**	**2**	**2**	**Keladevi WLS included with RTR**

राज्य का जिलेवार वनावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति रिपोर्ट–2017 के अनुसार राज्य में जिलेवार वनावरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	परिवर्तन	झाड़ी वन
		अत्यन्त सघन	सामान्य सघन वन	खुले वन	कुल			
अजमेर	8,481	0	43	256	299	3.53	13	202
अलवर	8,380	59	335	803	1,197	14.28	-2	246
बांसवाड़ा	4,522	0	39	222	261	5.77	2	53
बारां	6,992	0	155	858	1,013	14.49	-44	103
बाड़मेर	28,387	0	4	269	273	0.96	86	205
भरतपुर	5,066	0	22	207	229	4.52	13	79
भीलवाड़ा	10,455	0	31	190	221	2.11	-1	158
बीकानेर	30,239	1	27	219	247	0.82	28	47
बूंदी	5,776	1	138	419	558	9.66	82	151
चित्तौड़गढ	7,822	0	220	769	989	12.64	-40	86
चूरू	13,835	0	3	79	82	0.59	-4	22
दौसा	3,432	0	12	105	117	3.41	2	99
धौलपुर	3,033	0	80	339	419	13.81	-7	70
डूंगरपुर	3,770	0	43	248	291	7.72	41	61
गंगानगर	10,978	0	10	103	113	1.03	33	13
हनुमानगढ़	9,656	1	7	82	90	0.93	-12	1
जयपुर	11,143	12	97	443	552	4.95	49	286
जैसलमेर	38,401	4	53	256	313	0.82	88	227
जालोर	10,640	0	18	257	275	2.58	77	209
झालावाड़	6,219	0	83	356	439	7.06	34	102
झुंझुनू	5,928	0	21	175	196	3.31	3	188
जोधपुर	22,850	0	4	101	105	0.46	10	167
करौली	5,524	0	95	775	870	15.75	-7	273
कोटा	5,217	0	154	396	550	10.54	-29	135
नागौर	17,718	0	15	128	143	0.81	22	103
पाली	12,387	0	210	464	674	5.44	-9	308
प्रतापगढ़	4,449	0	560	484	1,044	23.47	-48	44
राजसमंद	4,655	0	135	376	511	10.98	30	108
सवाईमाधोरपुर	4,498	0	154	312	466	10.36	30	114
सीकर	7,732	0	31	161	192	2.48	1	187
सिरोही	5,136	0	302	612	914	17.80	3	206
टोंक	7,194	0	27	138	165	2.29	-4	56
उदयपुर	11,724	0	1,212	1,552	2,764	23.58	26	270
योग	**3,42,239**	**78**	**4,340**	**12,154**	**16,572**	**239**	**466**	**4,579**

राजस्व प्राप्तियों से आय का विवरण

(रूपये लाखों में)

राजस्व मद 0406	2015-16	2016-17	2017-18	बजट अनुमान 2018-19	माह दिसम्बर कुल प्राप्तियां
101–01–इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	2.48	179.58	8.40	5.00	21.54
101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2767.87	1963.82	2651.44	2800.00	2070.28
101–03 बांस में प्राप्तियां	517.10	294.40	318.22	500.00	197.62
101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	146.78	220.58	277.44	250.00	125.35
101–06–तेन्दू पत्ता व्यापार योजना 01–तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	710.39	2406.46	7834.28	3500.00	2847.98
101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	8.59	21.04	95.41	20.00	15.82
800–01–अर्थदण्ड और राजसात्करण	1356.11	1193.60	1345.73	1300.00	1070.30
800–02–शिकार अनुज्ञा शुल्क	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
800–03–व्ययगत निक्षेप	0.20	0.50	0.60	1.50	3.43
800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	5.45	4.57	1.93	1000.00	400.50
800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	3743.54	1334.51	1108.44	600.00	855.37
800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	1096.71	360.98	831.61	2.00	0.00
050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	6.64	0.00	0.00	2.00	6.11
050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तियां	3.96	0.00	7.22	600.00	451.60
02–111–01–चिड़ियाघर से प्राप्तियां	640.37	522.04	583.81	500.00	324.35
02–800–01–ईको डवलपमेन्ट से आय	272.58	502.92	403.69	900.00	623.20
02–800–02–रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	707.31	749.06	909.92	59.50	28.19
02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	38.42	39.01	40.56	1500.00	1054.31
02–800–04–रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट	1046.54	1202.36	1550.18	100.00	66.10
02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय	100.70	94.82	99.31	310.00	236.65
050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	13.57	6.31	9.53	10.00	7.20
050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	5.80	3.77	11.37	5.00	20.75
योग	**13191.11**	**11100.33**	**18089.09**	**13966.00**	**10426.65**

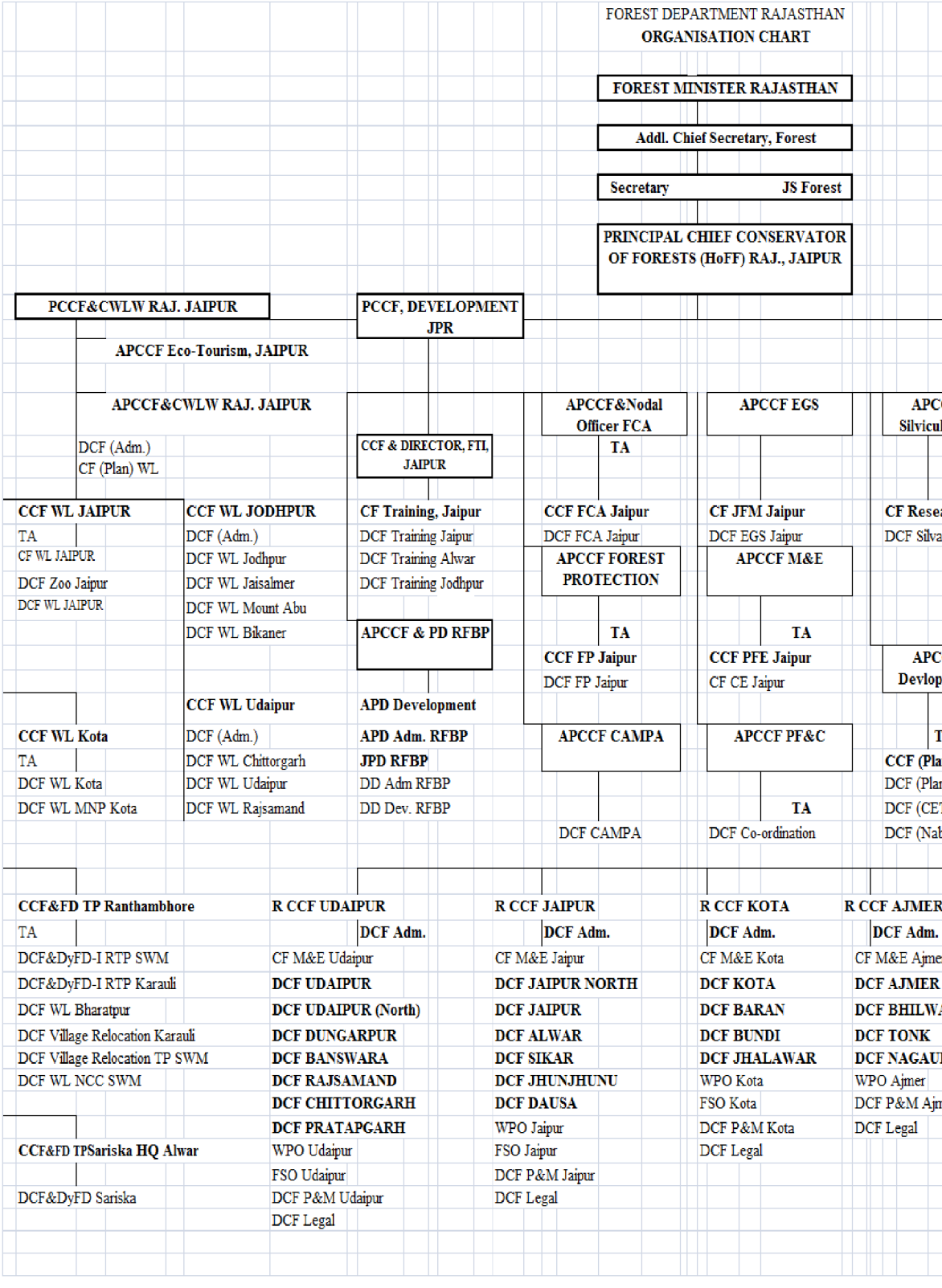

FOREST DEPARTMENT RAJASTHAN

ORGANISATION CHART

FOREST MINISTER RAJASTHAN

Addl. Chief Secretary, Forest

Secretary **JS Forest**

PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS (HoFF) RAJ., JAIPUR

PCCF&CWLW RAJ. JAIPUR
- **APCCF Eco-Tourism, JAIPUR**
- **APCCF&CWLW RAJ. JAIPUR**
  - DCF (Adm.)
  - CF (Plan) WL
  - **CCF WL JAIPUR**
    - TA
    - CF WL JAIPUR
    - DCF Zoo Jaipur
    - DCF WL JAIPUR
  - **CCF WL JODHPUR**
    - DCF (Adm.)
    - DCF WL Jodhpur
    - DCF WL Jaisalmer
    - DCF WL Mount Abu
    - DCF WL Bikaner
  - **CCF WL Udaipur**
    - DCF (Adm.)
    - DCF WL Chittorgarh
    - DCF WL Udaipur
    - DCF WL Rajsamand
  - **CCF WL Kota**
    - TA
    - DCF WL Kota
    - DCF WL MNP Kota

PCCF, DEVELOPMENT JPR
- **CCF & DIRECTOR, FTI, JAIPUR**
  - **CF Training, Jaipur**
  - DCF Training Jaipur
  - DCF Training Alwar
  - DCF Training Jodhpur
- **APCCF & PD RFBP**
  - **APD Development**
  - **APD Adm. RFBP**
  - **JPD RFBP**
  - DD Adm RFBP
  - DD Dev. RFBP

APCCF&Nodal Officer FCA
- **TA**
- **CCF FCA Jaipur**
- DCF FCA Jaipur

APCCF FOREST PROTECTION
- **TA**
- **CCF FP Jaipur**
- DCF FP Jaipur

APCCF CAMPA
- DCF CAMPA

APCCF EGS
- **CF JFM Jaipur**
- DCF EGS Jaipur

APCCF M&E
- **TA**
- **CCF PFE Jaipur**
- CF CE Jaipur

APCCF PF&C
- **TA**
- DCF Co-ordination

APC... Silvicul...
- **CF Resea...**
- DCF Silva...

APC... Devlop...
- **T...**
- **CCF (Pla...**
- DCF (Plar...
- DCF (CET...
- DCF (Nab...

CCF&FD TP Ranthambhore
- TA
- DCF&DyFD-I RTP SWM
- DCF&DyFD-I RTP Karauli
- DCF WL Bharatpur
- DCF Village Relocation Karauli
- DCF Village Relocation TP SWM
- DCF WL NCC SWM

CCF&FD TPSariska HQ Alwar
- DCF&DyFD Sariska

R CCF UDAIPUR
- **DCF Adm.**
- CF M&E Udaipur
- **DCF UDAIPUR**
- **DCF UDAIPUR (North)**
- **DCF DUNGARPUR**
- **DCF BANSWARA**
- **DCF RAJSAMAND**
- **DCF CHITTORGARH**
- **DCF PRATAPGARH**
- WPO Udaipur
- FSO Udaipur
- DCF P&M Udaipur
- DCF Legal

R CCF JAIPUR
- **DCF Adm.**
- CF M&E Jaipur
- **DCF JAIPUR NORTH**
- **DCF JAIPUR**
- **DCF ALWAR**
- **DCF SIKAR**
- **DCF JHUNJHUNU**
- **DCF DAUSA**
- WPO Jaipur
- FSO Jaipur
- DCF P&M Jaipur
- DCF Legal

R CCF KOTA
- **DCF Adm.**
- CF M&E Kota
- **DCF KOTA**
- **DCF BARAN**
- **DCF BUNDI**
- **DCF JHALAWAR**
- WPO Kota
- FSO Kota
- DCF P&M Kota
- DCF Legal

R CCF AJMER
- **DCF Adm.**
- CF M&E Ajme...
- **DCF AJMER**
- **DCF BHILWA...**
- **DCF TONK**
- **DCF NAGAU...**
- WPO Ajmer
- DCF P&M Ajm...
- DCF Legal

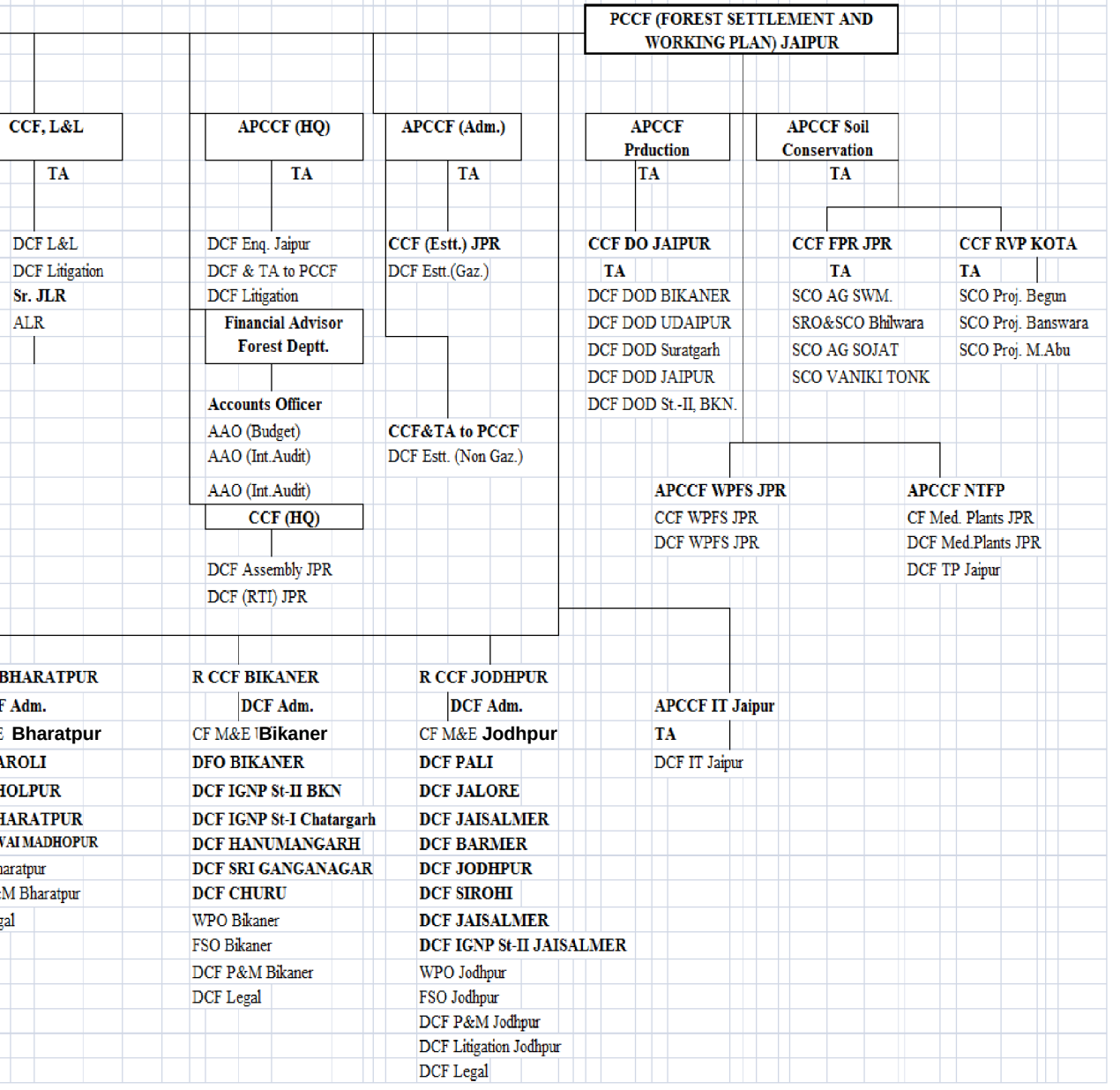
PCCF (FOREST SETTLEMENT AND WORKING PLAN) JAIPUR
CCF, L&L
TA
DCF L&L
DCF Litigation
Sr. JLR
ALR
APCCF (HQ)
TA
DCF Enq. Jaipur
DCF & TA to PCCF
DCF Litigation
Financial Advisor Forest Deptt.
Accounts Officer
AAO (Budget)
AAO (Int.Audit)
AAO (Int.Audit)
CCF (HQ)
DCF Assembly JPR
DCF (RTI) JPR
APCCF (Adm.)
TA
CCF (Estt.) JPR
DCF Estt.(Gaz.)
CCF&TA to PCCF
DCF Estt. (Non Gaz.)
APCCF Prduction
TA
CCF DO JAIPUR
TA
DCF DOD BIKANER
DCF DOD UDAIPUR
DCF DOD Suratgarh
DCF DOD JAIPUR
DCF DOD St.-II, BKN.
APCCF Soil Conservation
TA
CCF FPR JPR
TA
SCO AG SWM.
SRO&SCO Bhilwara
SCO AG SOJAT
SCO VANIKI TONK
CCF RVP KOTA
TA
SCO Proj. Begun
SCO Proj. Banswara
SCO Proj. M.Abu
APCCF WPFS JPR
CCF WPFS JPR
DCF WPFS JPR
APCCF NTFP
CF Med. Plants JPR
DCF Med.Plants JPR
DCF TP Jaipur
BHARATPUR
F Adm.
E Bharatpur
AROLI
HOLPUR
HARATPUR
VAI MADHOPUR
haratpur
CM Bharatpur
gal
R CCF BIKANER
DCF Adm.
CF M&E Bikaner
DFO BIKANER
DCF IGNP St-II BKN
DCF IGNP St-I Chatargarh
DCF HANUMANGARH
DCF SRI GANGANAGAR
DCF CHURU
WPO Bikaner
FSO Bikaner
DCF P&M Bikaner
DCF Legal
R CCF JODHPUR
DCF Adm.
CF M&E Jodhpur
DCF PALI
DCF JALORE
DCF JAISALMER
DCF BARMER
DCF JODHPUR
DCF SIROHI
DCF JAISALMER
DCF IGNP St-II JAISALMER
WPO Jodhpur
FSO Jodhpur
DCF P&M Jodhpur
DCF Litigation Jodhpur
DCF Legal
APCCF IT Jaipur
TA
DCF IT Jaipur

परिशिष्ठ–8

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2015–16 एवम् 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 के प्रारम्भ तक)
जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	उपलब्धि							
		वृक्षारोपण (है0)				रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखों में)			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	अजमेर	1392	700	1056	735	9.05	3.890	6.270	1.918
2	अलवर	1833	2124	1460	1056	18.01	15.900	14.080	4.620
3	बांसवाड़ा	1231	3064	1262	1030	10.161	19.713	7.979	6.309
4	बारां	2100	950	3145	2111	14.750	7.65	25.523	15.407
5	बाड़मेर	721	3050	432	857	4.23	18.200	2.590	8.230
6	भरतपुर	700	353	60	165	4.68	2.200	0.400	0.820
7	भीलवाड़ा	900	1895	250	447	5.80	9.00	1.636	1.630
8	बीकानेर	5640.99	6966	924	738	30.92	41.763	7.153	3.999
9	बून्दी	2381	491	1142	969	11.30	3.17	9.339	4.517
10	चित्तौड़गढ़	2200	2299	2030	2243	14.00	15.42	13.270	14.344
11	चूरू	399	1185	793	824	2.006	7.17	4.672	3.790
12	दौसा	1782	311	306	257	11.04	2.19	1.790	1.110
13	धौलपुर	2097	1665	1242	578	15.48	14.79	9.140	4.416
14	डूंगरपुर	1413	2036	1226	1645	11.092	14.358	8.287	9.411
15	गंगानगर	1037	1108	926	704	7.104	7.555	6.401	4.987
16	हनुमानगढ़	511.34	596	566	752	3.620	4.00	4.450	6.070
17	जयपुर	2333	2720	1800	784	13.720	18.59	13.810	3.280
18	जालौर	1051.09	1576	1333	838	56.90	19.348	12.310	5.263
19	जैसलमेर	9556	8518	2778	708	11.046	52.07	18.120	4.120
20	झालावाड़	2189.69	977	1295	1010	11.588	8.86	7.617	5.303
21	झुन्झुनूं	977	1338	957	1082	6.57	11.66	6.350	6.489
22	जोधपुर	1602	2516	1644	651	7.94	11.11	8.260	3.020
23	करौली	1942	2168	1134	1110	12.59	17.07	6.670	5.275
24	कोटा	2164.74	2454	3648	2121	11.826	12.559	23.705	11.350
25	नागौर	1273.11	729	498	218	8.037	4.645	3.190	0.4535
26	पाली	1803	3807	1536	1157	9.39	14.12	9.710	5.030
27	प्रतापगढ़	3069	2100	1538	2438	21.08	19.930	10.433	11.715
28	राजसमन्द	1684.54	927	646	859	12.37	6.06	4.610	4.077
29	सवाई माधोपुर	900	320	525	536	4.93	2.82	3.140	1.770
30	सीकर	1367	1829	1595	1350	10.21	13.52	7.150	7.150
31	सिरोही	2652	932	1023	368	14.389	6.619	5.000	1.130
32	टोंक	2077	934	1228	261	13.06	6.07	7.980	4.250
33	उदयपुर	7236.14	4177	3875	3067	51.184	31.548	29.630	16.171
	कुल	70357.64	66815	43873	33669	450.075	443.568	300.665	187.424

छाया : जगदीश चन्द्र गुप्ता R.F.S

''एशियाटिक लॉयन'' नाहरगढ़ बॉयोलोजिकल पार्क, जयपुर

छाया : सविता दहिया I.F.S

''एनीकट के भराव क्षेत्र का प्राकृतिक सौन्दर्य'' सीतामाता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़

नाबार्ड

Financial Assistance by :

Project for Development of water Catchments Through Greening of Rajasthan Under RIDF XXII (Phase-III)

मुख पृष्ठ : सीतामाता अभ्यारण्य का प्राकृतिक सौन्दर्य • छाया : सविता दहिया I.F.S

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।